"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 43] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 27 अक्टूबर 2017—कार्तिक 5, शक 1939

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 19 सितम्बर 2017

क्रमांक ई 1-01/2017//1-2.—राज्य शासन एतद्द्वारा कु. जिनेविवा किंडो, भा.प्र.से. (2004), सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के पद पर पदस्थ करता है.

कु. जिनेविवा किंडो, भा.प्र.से. द्वारा सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग का पदभार ग्रहण करने के दिनांक से श्री ओंकर सिंह, रा.प्र.से. सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2017.

कु. जिनेविवा किंडो, भा.प्र.से. द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2016 के नियम-12 के तहत् सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

2. श्री सुधाकर खलखो, रा.प्र.से. (1959) प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ माटीकला बोर्ड को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग, रायपुर के पद पर पदस्थ करते हुए प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ माटीकला बोर्ड का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक ढाँड, मुख्य सचिव.

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 13 सितम्बर 2017

क्रमांक एफ 3-10/2017/बजट/गृह-दो.—दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973, (क्रमांक-2 सन् 1974) की धारा-2 के खण्ड (घ) द्वारा शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए नीचे दी गई सारणी में वर्णित स्थानीय क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली पूर्व अधिसूचनाओं में आंशिक रूप से संशोधन करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा जन सुविधा एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण से कालम नम्बर-3 में वर्णित पुलिस थाना के उक्त सारणी के कालम (4) की तत्संबंधित प्रविष्टि में उल्लेखित किये गये स्थानीय क्षेत्रों को कालम नं.-2 में वर्णित पुलिस थाना/चौकी के स्थानीय क्षेत्राधिकार में अधिसूचित करता है :—

स. क्र.	उस थाना/चौकी का नाम, तहसील एवं जिला जिसमें सम्मिलित किया जाना है	उस थाना/चौकी का नाम, तहसील एवं जिला जिससे अपवर्जित किया जाना है	शामिल होने वाले प्रस्तावित ग्रामों के नाम	पटवारी हल्का नम्बर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		जिला—सूरजपुर		
01.	चौकी-रेवटी, तहसील-प्रतापपुर जिला-सूरजपुर.	थाना-चंदौरा, तहसील-प्रतापपुर जिला-सूरजपुर.	रेवटी	06
02.	—,,—	—,,—	पहाड़ करवां	08
03.	—,,—	—,,—	भेडिया	07
04.	—,,—	—,,—	डांडकरवां	06
05.	—,,—	—,,—	रामपुर	05
06.	—,,—	—,,—	चांचीडांड	05
07.	—,,—	—,,—	सोनडीहा	05
08.	—,,—	—,,—	गोवर्धनपुर	05
09.	—,,—	—,,—	धोंधा	04
10.	—,,—	—,,—	बटई	04
11.	—,,—	—,,—	धुमांडांड	07
12.	—,,—	थाना-रमकोला, तहसील-प्रातपपुर जिला-सूरजपुर.	नरोला	04
13.	—,,—	—,,—	गोविन्दपुर	03
01.	चौकी-लटोरी, तहसील-सूरजपुर जिला-सूरजपुर.	थाना-जयनगर, तहसील-सूरजपुर जिला-सूरजपुर.	लटोरी	35
02.	—,,—	—,,—	कसकेला	39
03.	—,,—	—,,—	करवां	32
04.	—,,—	—,,—	बिहारपुर	32

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
05.	चौकी-लटोरी, तहसील-सूरजपुर जिला-सूरजपुर.	थाना-जयनगर, तहसील-सूरजपुर जिला-सूरजपुर.	जगतपुर	32
06.	—,,—	—,,—	तुलसी	34
07.	—,,—	—,,—	गंगापुर	32
08.	—,,—	—,,—	सुन्दरगंज	34
09.	—,,—	—,,—	बृजनगर	34
10.	—,,—	—,,—	अनुजनगर	35
11.	—,,—	—,,—	गजाधरपुर	32
12.	—,,—	—,,—	महेशपुर	38
13.	—,,—	—,,—	जुड़वानी	38
14.	—,,—	—,,—	द्वारिकानगर	35
15.	—,,—	—,,—	सोनवाही	35
16.	—,,—	—,,—	रमेशपुर	35
17.	—,,—	—,,—	हीरा डबरी	35
18.	—,,—	—,,—	सम्बलपुर	35
19.	—,,—	—,,—	करसू	30
20.	—,,—	—,,—	कल्याणपुर	43
21.	—,,—	—,,—	अखोरा	43
22.	—,,—	—,,—	रामेश्वरपुर	42
23.	—,,—	—,,—	पोंडिपा	44
24.	—,,—	—,,—	छतरपुर	42
25.	—,,—	—,,—	मंजीरा	45
26.	चौकी-लटोरी, तहसील-प्रातपपुर जिला-सूरजपुर.	थाना-भटगांव, तहसील-प्रतापपुर जिला-सूरजपुर.	शंकरपुर	18
27.	चौकी लटोरी, तहसील-भैयाथान जिला-सूरजपुर.	थाना-जयनगर, तहसील-भैयाथान जिला-सूरजपुर.	राजकिशोर नगर	30
01.	चौकी-मणीपुर, तहसील-अम्बिकापुर जिला-सरगुजा.	थाना-अम्बिकापुर, तहसील-अम्बिकापुर थाना-सरगुजा.	राजेन्द्र प्रसाद वार्ड क्र. 43 (दर्रीपारा)	15
02.	—,,—	—,,—	कबीर वार्ड क्र. 44 (दर्रीपारा)	15
03.	—,,—	—,,—	अम्बेडकर वार्ड क्र. 45 (भट्टापारा)	15
04.	—,,—	—,,—	संत गाहिला गुरू वार्ड क्र. 46 (मठपारा).	22, 23
05.	—,,—	—,,—	जगदीशपुर	25
06.	—,,—	—,,—	सांडबार	24
07.	—,,—	—,,—	लोधिमा	26
08.	—,,—	—,,—	सुंदरपुर	26
09.	—,,—	—,,—	भिट्टीकला	31
10.	—,,—	—,,—	रामपुर	31
11.	—,,—	—,,—	जोगीबांध	31
12.	—,,—	—,,—	मेण्ड्राकला	30
13.	—,,—	—,,—	उदयपुरढाब	30
14.	—,,—	—,,—	बकमेर	32

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
15.	चौकी-मणीपुर, तहसील-अम्बिकापुर जिला-सरगुजा.	थाना-अम्बिकापुर, तहसील-अम्बिकापुर थाना-सरगुजा.	बरढ़ोढी	32
16.	—,,—	—,,—	केराकछार	32
17.	चौकी-मणीपुर, तहसील-अम्बिकापुर जिला-सरगुजा.	थाना-गांधीनगर, तहसील-अम्बिकापुर जिला-सरगुजा.	थोर	26
18.	—,,—	—,,—	लब्जी	27
19.	—,,—	—,,—	बकिरमा	27
20.	—,,—	—,,—	हर्राटिकरा	24
21.	—,,—	—,,—	केशवपुर	24

जिला-जशपुर

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01.	चौकी-करडेगा, तहसील-फरसाबहार जिला-जशपुर.	थाना-दुलदुला, तहसील-कुनकुरी जिला-जशपुर.	सिमड़ा	12
02.	—,,—	—,,—	संपघरा	10
03.	—,,—	—,,—	बुकना	12
04.	—,,—	—,,—	धांधअम्बा	12
05.	—,,—	—,,—	मयूरचुंदी	12
06.	—,,—	—,,—	जामचुंआ	12
07.	—,,—	—,,—	साजापानी	12
08.	—,,—	—,,—	केंदापानी	12
09.	—,,—	—,,—	फोटकोसेमर	12
10.	चौकी करडेगा, तहसील-फरसाबहार जिला-जशपुर.	थाना-तपकरा, तहसील-परसाबहार जिला-जशपुर.	करडेगा	14
11.	—,,—	—,,—	रानीबंध	14
12.	—,,—	—,,—	पण्डरी अम्बा	14
13.	—,,—	—,,—	मकरीबंधा	14
14.	—,,—	—,,—	धुरिया अम्बा	13
15.	—,,—	—,,—	ढोढीआरा	13
16.	—,,—	—,,—	गोड़अम्बा	13
17.	—,,—	—,,—	गट्टीगुड़ा	13
18.	—,,—	—,,—	हल्दीमुण्डा	13
19.	—,,—	—,,—	बुट कच्छार	04

जिला-दुर्ग

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01.	चौकी-लिटिया सेमरिया, तहसील-धमधा, जिला-दुर्ग.	थाना-बोरी, तहसील-धमधा जिला-दुर्ग.	लिटिया	19
02.	—,,—	—,,—	सेमरिया	19
03.	—,,—	—,,—	जोगीगुफा	18
04.	—,,—	—,,—	हसदा	19
05.	—,,—	—,,—	पाण्डुका	19
06.	—,,—	—,,—	चिखला	19
07.	—,,—	—,,—	बिरेझर	20

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
08.	चौकी–लिटिया सेमरिया, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग.	थाना–बोरी, तहसील–धमधा जिला–दुर्ग.	टेमरी	21
09.	—,,—	—,,—	रीटा	21
10.	—,,—	—,,—	खर्रा	20
11.	—,,—	—,,—	पोटिया	21
12.	—,,—	—,,—	सेवती	22
13.	—,,—	—,,—	हिर्री	21
14.	—,,—	—,,—	डोडकी	18
15.	—,,—	—,,—	चीचा	18
16.	—,,—	—,,—	शिवकोकड़ी	18
17.	—,,—	—,,—	अरसी	17

जिला–कबीरधाम

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01.	चौकी–बैजलपुर, तहसील–बोडला जिला–कबीरधाम.	थाना–बोडला, तहसील–बोडला जिला–कबीरधाम.	बैजलपुर	07
02.	—,,—	—,,—	बोरिया	08
03.	—,,—	—,,—	कांपा	08
04.	—,,—	—,,—	खड़ौदाधुर्द	11
05.	—,,—	—,,—	सिंघारी	07
06.	—,,—	—,,—	मुड़घुसरी	11
07.	—,,—	—,,—	काशीपानी	11
08.	—,,—	—,,—	कामाडबरी	11
09.	—,,—	—,,—	खरिया (जुनवानी, कोसदा, कांदापारा)	11

जिला–मुंगेली

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01.	थाना–फास्टरपुर–सेतगंगा, थाना–मुंगेली, जिला–मुंगेली.	थाना–मुंगेली, जिला–मुंगेली	सेतगंगा	2
02.	—,,—	—,,—	राजपुर–मौहार	17
03.	—,,—	—,,—	कोसमतरा	30
04.	—,,—	—,,—	बीजातराई	1
05.	—,,—	—,,—	झलियापुर	19
06.	—,,—	—,,—	भालापुर	20
07.	—,,—	—,,—	लगरा	29
08.	—,,—	—,,—	छटन	4
09.	—,,—	—,,—	सेमरकोना	3
10.	—,,—	—,,—	भाठा	30
11.	—,,—	—,,—	किंदरियापारा	16
12.	—,,—	—,,—	केसलीकला	1
13.	—,,—	—,,—	टेढ़ाधौरा	21
14.	—,,—	—,,—	डोंडा	18
15.	—,,—	—,,—	दाबो	15
16.	—,,—	—,,—	मदनपुर	3

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
17.	थाना–फास्टरपुर–सेतगंगा, थाना–मुंगेली, जिला–मुंगेली.	थाना–मुंगेली, जिला–मुंगेली	पौनी	17
18.	—,,—	—,,—	अचानकपुर	19
19.	—,,—	—,,—	जुनवानी	19
20.	—,,—	—,,—	नारायणपुर	20
21.	—,,—	—,,—	विचारपुर	16
22.	—,,—	—,,—	रैतराकला	30
23.	—,,—	—,,—	कुकुरहट्टा	31
24.	—,,—	—,,—	बघमार	31
25.	—,,—	—,,—	बेलसरी	32
26.	—,,—	—,,—	गाड़ाघाट	3
27.	—,,—	—,,—	सिंघनपुरी (कुकुरहट्टा)	32
28.	—,,—	—,,—	ठेल्का नवागांव	31
29.	—,,—	—,,—	साल्हेघोरी	30
30.	—,,—	—,,—	सिपाही	2
31.	—,,—	—,,—	गोरखपुर	2
32.	—,,—	—,,—	छुईहा	23
33.	—,,—	—,,—	भुमियापारा	1
34.	—,,—	—,,—	माड़ाडबरी	1
35.	—,,—	—,,—	अनंतपुर	21
36.	—,,—	—,,—	अमलीडीह	31
37.	—,,—	—,,—	उसलापुर	22
38.	—,,—	—,,—	केहरपुर	18
39.	—,,—	—,,—	कंचनपुर	18
40.	—,,—	—,,—	कोलिहा	18
41.	—,,—	—,,—	केसतरा	22
42.	—,,—	—,,—	सिल्ली	15
43.	—,,—	—,,—	सारंगपुर	2
44.	—,,—	—,,—	सिंगारपुर	2
45.	—,,—	—,,—	लालपुर	1
46.	—,,—	—,,—	तालम	16
47.	—,,—	—,,—	लछनपुर	21
48.	—,,—	—,,—	उदका	23
49.	—,,—	—,,—	जल्ली	18
50.	—,,—	—,,—	बोदा	3
51.	—,,—	—,,—	पण्डोतरा	2
52.	—,,—	—,,—	हरिहरपुर	22
53.	—,,—	—,,—	गिगतराडीह	4
54.	—,,—	—,,—	सिंघनपुरी (मुडमार)	21
55.	—,,—	—,,—	चुचरूंगपुर	22
56.	—,,—	—,,—	चमारी	3
57.	—,,—	—,,—	झिटकनिया	16
58.	—,,—	—,,—	ठाकुरकापा	23

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
59.	थाना-फास्टरपुर-सेतगंगा, थाना-मुंगेली, जिला-मुंगेली.	थाना-मुंगेली, जिला-मुंगेली	ठेंगा	19
60.	—,,—	—,,—	तरवरपुर	23
61.	—,,—	—,,—	दुल्लापुर (पड़की)	5
62.	—,,—	—,,—	दामापुर	4
63.	—,,—	—,,—	नागोपहरी	16
64.	—,,—	—,,—	नवागांव (कैथ)	15
65.	—,,—	—,,—	नवागांव (मुसउ)	15
66.	—,,—	—,,—	दुल्लापुर (ठाकुर)	2
67.	—,,—	—,,—	परसवारा (रमईपुर)	3
68.	—,,—	—,,—	चिरौंजपुर	18
69.	—,,—	—,,—	फागुपारा	22
70.	—,,—	—,,—	बैहाकापा	23
71.	—,,—	—,,—	बोधीपारा	22
72.	—,,—	—,,—	भीमपुरी	22
73.	—,,—	—,,—	मुड़पार	19
74.	—,,—	—,,—	मानपुर	22
75.	—,,—	—,,—	रमईपुर	14
76.	—,,—	—,,—	रजपालपुर	17
77.	—,,—	—,,—	सनकपाट	17
78.	—,,—	—,,—	सोनपुरी	16
79.	—,,—	—,,—	भूरका (भाठा)	3
80.	—,,—	—,,—	केसहीखुर्द	20
81.	—,,—	—,,—	पंडकी (दुल्लापुर)	5
82.	—,,—	—,,—	जुझारभाठा	4
83.	—,,—	—,,—	बैहरसरी	15

विरानगांव

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	—,,—	—,,—	भगतपुर	21
2.	—,,—	—,,—	मानपुर	22
3.	—,,—	—,,—	पईहा	18
4.	—,,—	—,,—	चापतरा	18
5.	—,,—	—,,—	खूंटा	1
6.	—,,—	—,,—	डोंगरी	17
7.	—,,—	—,,—	सेनगांव	21
8.	—,,—	—,,—	तुमड़ी	19

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. के. माथुर, उप-सचिव.

वन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 15 जून 2017

क्रमांक एफ 7-10/2013/10-2 (पार्ट).—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह घोषित करती है कि नीचे उल्लिखित अनुसूची के कॉलम (4) एवं (5) में क्रमशः यथा दर्शित निम्नलिखित खसरा नम्बर एवं क्षेत्र की भूमि को, उक्त अनुसूची के कॉलम (6) में यथा विनिर्दिष्ट अवस्थिति एवं सीमाओं के भीतर आरक्षित वन के रूप में गठित करने का विनिश्चय किया गया है और उक्त अनुसूची में समाविष्ट किसी भूमि में या उस पर अथवा किसी वनोपज में या उस पर किसी व्यक्ति के पक्ष में कथित रूप से विद्यमान किसी अधिकार की विद्यमानता, प्रकृति एवं सीमा की जांच और निर्धारण के लिये तथा उक्त अधिनियम के अध्याय-दो के उपबंधों के अनुसार उसका निराकरण करने के लिये अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), धमतरी उप-खण्ड को वन व्यवस्थापन अधिकारी के रूप में कार्य करने हेतु नियुक्त करती है, अर्थात् :—

अनुसूची

जिला-धमतरी, तहसील-धमतरी, वन मंडल-धमतरी, वन परिक्षेत्र-धमतरी

स. क्र.	वन खण्ड का नाम	पटवारी हल्का नंबर एवं राजस्व ग्राम का नाम, जहां वन खण्ड अवस्थित है	खसरा नंबर	क्षेत्रफल हेक्टेयर में	अवस्थिति/सीमाएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	भोयेना उत्तर	मथुराडीह प.ह.नं.-32	500 509	0.23 1.77	**उत्तर :** ग्राम-मथुराडीह से ग्राम अरौद पी.डब्ल्यू.डी. पक्का सड़क. **पूर्व :** धमतरी वन परिक्षेत्र के कक्ष क्र. पी. 168 की पश्चिम सीमा, राजस्व भूमि खसरा नं. 510 की उत्तरी-पश्चिमी सीमा, राजस्व भूमि खसरा नं. 511 की उत्तरी तथा पश्चिमी दक्षिणी सीमा. **दक्षिण :** राजस्व भूमि खसरा नं. 509/1 एवं आक्सीवन की दक्षिणी-पूर्वी सीमा. **पश्चिम :** राजस्व भूमि खसरा नं. 496, 497, 499 की पूर्वी सीमा, राजस्व भूमि खसरा नं.-501 की पूर्वी-दक्षिणी सीमा एवं राजस्व भूमि खसरा नं. 509/1 की पूर्वी सीमा.
		योग	**02**	**2.00**	

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अतुल कुमार शुक्ल, सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 15 जून 2017

क्रमांक एफ 7-10/2013/10-2 (पार्ट).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 7-10/2013/10-2 (पार्ट), दिनांक 15-06-2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अतुल कुमार शुक्ल, सचिव.

Naya Raipur the 15th June 2017

No. F 7-10/2013/10-2 (part).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Indian Forest Act, 1927 (No. 16 of 1927), the State Government, hereby, declares that it has been decided to constitute the following land with Khasra Number and area as shown in columns (4) and (5) respectively of the Schedule mentioned below and within such situation and limits as specified in column (6) of the said Schedule as Reserved Forest and appoints the Sub-Divisional Officer (Revenue), Dhamtari Sub-Division to act as the Forest Settlement-Officer to inquire into and determine the existence, nature and extent of any rights alleged to exist in favour of any person in or over any land comprised in the said Schedule or in or over any forest-produce and to deal with the same in accordance with the provisions of Chapter II of the said Act namely :—

SCHEDULE

District- Dhamtari, Tahsil-Dhamtari, Forest Division-Dhamtari Forest Range-Dhamtari

S. No.	Name of Forest Block	Patwari Halka Number and Name of Revenue Village where Block Situated	Khasra Numbers	Area in Hectare	Situation/Limits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Bhoyana North	Mathuradihi P.H.No.-32	500 509	0.23 1.77	**North :** P.W.D. Road Lead From Village-Mathuradihi to Village-Around. **East :** Western boundary of Comptt. No.-P 168 of Dhamtari Range, North-western boundary of Revenue land Khasara No. 510 Northern and West Soutnern Boundary of Revenue Land Khasara No. 511. **South :** South-Eastern boundary of Oxivan and Revenue land Khasara No. 509/1. **West :** Eastern boundary of Revenue land Khasra No. 496, 497, 499 East-Southern boundary of Revenue land khasra No.-501 and Eastern boundary of Revenue land khasra No. 509/1.
		Total	**02**	**2.00**	

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ATUL KUMAR SHUKLA, Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 15 जून 2017

क्रमांक एफ 7-10/2013/10-2 (पार्ट).—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह घोषित करती है कि नीचे उल्लिखित अनुसूची के कॉलम (4) एवं (5) में क्रमश: यथा दर्शित निम्नलिखित खसरा नम्बर एवं क्षेत्र की भूमि को, उक्त अनुसूची के कॉलम (6) एवं (7) में यथा विनिर्दिष्ट अवस्थिति एवं सीमाओं के भीतर आरक्षित वन के रूप में गठित करने का विनिश्चय किया गया है और उक्त अनुसूची में समाविष्ट किसी भूमि में या उस पर अथवा किसी वनोपज में या उस पर किसी व्यक्ति के पक्ष में कथित रूप से विद्यमान किसी अधिकार की विद्यमानता, प्रकृति एवं सीमा की जांच और निर्धारण के लिये तथा उक्त अधिनियम के अध्याय-दो के उपबंधों के अनुसार उसका निराकरण करने के लिये अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), चांपा उप-

खण्ड को वन व्यवस्थापन अधिकारी के रूप में कार्य करने हेतु नियुक्त करती है, अर्थात् :—

अनुसूची

जिला-जांजगीर-चांपा, तहसील-चांपा, वन मंडल-जांजगीर-चांपा, वन परिक्षेत्र-बलौदा

स. क्र.	वन खण्ड का नाम	पटवारी हल्का नंबर एवं राजस्व ग्राम का नाम, जहां वन खण्ड अवस्थित है	खसरा नंबर	क्षेत्रफल हेक्टेयर में	अवस्थिति/सीमाएं		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
1.	कुरदा	कुरदा प.ह.नं.-01	2/58 2/59	14.970 4.251	**उत्तर :** **पूर्व :** **दक्षिण :** **पश्चिम :**	1 से 10. 10 से 15. 15 से 17. 17 से 19.	उत्तर - महुंदा. पूर्व - कुरदा. दक्षिण - चांपा. पश्चिम - हसदेव नदी.
		योग	**02**	**19.221**			

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अतुल कुमार शुक्ला, सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 15 जून 2017

क्रमांक एफ 7-10/2013/10-2 (पार्ट).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 7-10/2013/10-2 (पार्ट), दिनांक 15-06-2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अतुल कुमार शुक्ला, सचिव.

Naya Raipur the 15th June 2017

No. F 7-10/2013/10-2 (part).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Indian Forest Act, 1927 (No. 16 of 1927), the State Government, hereby, declares that it has been decided to constitute the following land with Khasra Number and area as shown in columns (4) and (5) respectively of the Schedule mentioned below and within such situation and limits as specified in column (6) of the said Schedule as Reserved Forest and appoints the Sub-Divisional Officer (Revenue), Champa Sub-Division to act as the Forest Settlement-Officer to inquire into and determine the existence, nature and extent of any rights alleged to exist in favour of any person in or over any land comprised in the said Schedule or in or over any forest-produce and to deal with the same

in accordance with the provisions of Chapter II of the said Act namely :—

SCHEDULE

District-Janjgir Champa, Tahsil-Champa, Forest Division-Janjgir-Champa Forest Range-Baloda

S. No.	Name of Forest Block	Patwari Halka Number and Name of Revenue Village where Block Situated	Khasra Numbers	Area in Hectare	Situation/Limits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Kurda	Kurda P.H.No.-01	2/58 2/59	14.970 4.251	**North :** 1 to 10. North - Mahuda **East :** 10 to 15. East - Kurda **South :** 15 to 17. South - Champa **West :** 17 to 19. West - Hasdeo River
		Total	**02**	**19.221**	

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ATUL KUMAR SHUKLA, Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 15 जून 2017

क्रमांक एफ 7-10/2013/10-2 (पार्ट).—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह घोषित करती है कि नीचे उल्लिखित अनुसूची के कॉलम (4) एवं (5) में क्रमशः यथा दर्शित निम्नलिखित खसरा नम्बर एवं क्षेत्र की भूमि को, उक्त अनुसूची के कॉलम (6) एवं (7) में यथा विनिर्दिष्ट अवस्थिति एवं सीमाओं के भीतर आरक्षित वन के रूप में गठित करने का विनिश्चय किया गया है और उक्त अनुसूची में समाविष्ट किसी भूमि में या उस पर अथवा किसी वनोपज में या उस पर किसी व्यक्ति के पक्ष में कथित रूप से विद्यमान किसी अधिकार की विद्यमानता, प्रकृति एवं सीमा की जांच और निर्धारण के लिये तथा उक्त अधिनियम के अध्याय-दो के उपबंधों के अनुसार उसका निराकरण करने के लिये अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जांजगीर उप- खण्ड को वन व्यवस्थापन अधिकारी के रूप में कार्य करने हेतु नियुक्त करती है, अर्थात् :—

अनुसूची

जिला-जांजगीर-चांपा, तहसील-जांजगीर, वन मंडल-जांजगीर-चांपा, वन परिक्षेत्र-बलौदा

स. क्र.	वन खण्ड का नाम	पटवारी हल्का नंबर एवं राजस्व ग्राम का नाम, जहां वन खण्ड अवस्थित है	खसरा नंबर	क्षेत्रफल हेक्टेयर में	अवस्थिति/सीमाएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	सेवई	सेवई प.ह.नं.-53	883/06	14.164	**उत्तर :** 1 से 2. उत्तर - सेवई. **पूर्व :** 2 से 7. पूर्व - कांजीनाला. **दक्षिण :** 7 से 8. दक्षिण - सेवई. **पश्चिम :** 8 से 12. पश्चिम - सेवई.
		योग	**01**	**14.164**	

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अतुल कुमार शुक्ल, सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 15 जून 2017

क्रमांक एफ 7-10/2013/10-2 (पार्ट).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 7-10/2013/10-2 (पार्ट), दिनांक 15-06-2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अतुल कुमार शुक्ला, सचिव.

Naya Raipur the 15th June 2017

No. F 7-10/2013/10-2 (part).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Indian Forest Act, 1927 (No. 16 of 1927), the State Government, hereby, declares that it has been decided to constitute the following land with Khasra Number and area as shown in columns (4) and (5) respectively of the Schedule mentioned below and within such situation and limits as specified in column (6) of the said Schedule as Reserved Forest and, appoints the Sub-Divisional Officer (Revenue), Janjgir Sub-Division to act as the Forest Settlement-Officer to inquire into and determine the existence, nature and extent of any rights alleged to exist in favour of any person in or over any land comprised in the said Schedule or in or over any forest-produce and to deal with the same in accordance with the provisions of Chapter II of the said Act namely :—

SCHEDULE

District- Janjgir Champa, Tahsil-Janjgir, Forest Division-Janjgir-Champa Forest Range-Baloda

S. No.	Name of Forest Block	Patwari Halka Number and Name of Revenue Village where Block Situated	Khasra Numbers	Area in Hectare	Situation/Limits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Sewai	Sewai P.H.No.-53	883/06	14.164	**North :** 1 to 2. North - Sewai **East :** 2 to 7. East - Kanjinala **South :** 7 to 8. South - Sewai **West :** 8 to 12. West - Sewai
		Total	**01**	**14.164**	

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ATUL KUMAR SHUKLA, Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 15 जून 2017

क्रमांक एफ 7-10/2013/10-2 (पार्ट).—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह घोषित करती है कि नीचे उल्लिखित अनुसूची के कॉलम (4) एवं (5) में क्रमशः यथा दर्शित निम्नलिखित खसरा नम्बर एवं क्षेत्र की भूमि को, उक्त अनुसूची के कॉलम (6) एवं (7) में यथा विनिर्दिष्ट अवस्थिति एवं सीमाओं के भीतर आरक्षित वन के रूप में गठित करने का विनिश्चय किया गया है और उक्त अनुसूची में समाविष्ट किसी भूमि में या उस पर अथवा किसी वनोपज में या उस पर किसी व्यक्ति के पक्ष में कथित रूप से विद्यमान किसी अधिकार की विद्यमानता, प्रकृति एवं सीमा की जांच और निर्धारण के लिये तथा उक्त अधिनियम के अध्याय-दो के उपबंधों के अनुसार उसका निराकरण करने के लिये अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जांजगीर

उप- खण्ड को वन व्यवस्थापन अधिकारी के रूप में कार्य करने हेतु नियुक्त करती है, अर्थात् :—

अनुसूची

जिला-जांजगीर-चांपा, तहसील-जांजगीर, वन मंडल-जांजगीर-चांपा, वन परिक्षेत्र-बलौदा

स. क्र.	वन खण्ड का नाम	पटवारी हल्का नंबर एवं राजस्व ग्राम का नाम, जहां वन खण्ड अवस्थित है	खसरा नंबर	क्षेत्रफल हेक्टेयर में	अवस्थिति/सीमाएं		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
1.	मेहंदा	मेहंदा प.ह.नं.-53	710/1 ण	10.117	**उत्तर :** **पूर्व :** **दक्षिण :** **पश्चिम :**	1 से 3. 3 से 8. 8 से 9. 9 से 12.	उत्तर - धरसा. पूर्व - राज्य मार्ग. दक्षिण - नहर. पश्चिम - मेहंदा.
		योग	**01**	**10.117**			

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अतुल कुमार शुक्ल, सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 15 जून 2017

क्रमांक एफ 7-10/2013/10-2 (पार्ट).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 7-10/2013/10-2 (पार्ट), दिनांक 15-06-2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अतुल कुमार शुक्ल, सचिव.

Naya Raipur the 15th June 2017

No. F 7-10/2013/10-2 (part).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Indian Forest Act, 1927 (No. 16 of 1927), the State Government, hereby, declares that it has been decided to constitute the following land with Khasra Number and area as shown in columns (4) and (5) respectively of the Schedule mentioned below and within such situation and limits as specified in column (6) and (7) of the said Schedule as Reserved Forest and, appoints the Sub-Divisional Officer (Revenue), Janjgir Sub-Division to act as the Forest Settlement-Officer to inquire into and determine the existence, nature and extent of any rights alleged to exist in favour of any person in or over any land comprised in the said Schedule or in or over any forest-produce and to deal with the

same in accordance with the provisions of Chapter II of the said Act namely :—

SCHEDULE

District- Janjgir Champa, Tahsil-Janjgir, Forest Division-Janjgir-Champa Forest Range-Baloda

S. No.	Name of Forest Block	Patwari Halka Number and Name of Revenue Village where Block Situated	Khasra Numbers	Area in Hectare	Situation/Limits	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1.	Mehanda	Mehanda P.H.No.-53	710/1 k	10.117	**North :** 1 to 3. **East :** 3 to 8. **South :** 8 to 9. **West :** 9 to 12.	North - Dharsha East - State Highway South - Canal West - Mehanda
		Total	**01**	**10.117**		

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ATUL KUMAR SHUKLA, Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 15 जून 2017

क्रमांक एफ 7-10/2013/10-2 (पार्ट).—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह घोषित करती है कि नीचे उल्लिखित अनुसूची के कॉलम (4) एवं (5) में क्रमशः यथा दर्शित निम्नलिखित खसरा नम्बर एवं क्षेत्र की भूमि को, उक्त अनुसूची के कॉलम (6) एवं (7) में यथा विनिर्दिष्ट अवस्थिति एवं सीमाओं के भीतर आरक्षित वन के रूप में गठित करने का विनिश्चय किया गया है और उक्त अनुसूची में समाविष्ट किसी भूमि में या उस पर अथवा किसी वनोपज में या उस पर किसी व्यक्ति के पक्ष में कथित रूप से विद्यमान किसी अधिकार की विद्यमानता, प्रकृति एवं सीमा की जांच और निर्धारण के लिये तथा उक्त अधिनियम के अध्याय-दो के उपबंधों के अनुसार उसका निराकरण करने के लिये अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जांजगीर उप- खण्ड को वन व्यवस्थापन अधिकारी के रूप में कार्य करने हेतु नियुक्त करती है, अर्थात् :—

अनुसूची

जिला-जांजगीर-चांपा, तहसील-अकलतरा, वन मंडल-जांजगीर-चांपा, वन परिक्षेत्र-बलौदा

स. क्र.	वन खण्ड का नाम	पटवारी हल्का नंबर एवं राजस्व ग्राम का नाम, जहां वन खण्ड अवस्थित है	खसरा नंबर	क्षेत्रफल हेक्टेयर में	अवस्थिति/सीमाएं	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1.	पौना	पौना प.ह.नं.-18	11/4	45.000	**उत्तर :** 1 से 5. **पूर्व :** 5 से 7. **दक्षिण :** 7 से 10. **पश्चिम :** 10 से 17.	उत्तर - तागा. पूर्व - तागा. दक्षिण - पौना. पश्चिम - पौना.
		योग	**01**	**45.000**		

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अतुल कुमार शुक्ल, सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 15 जून 2017

क्रमांक एफ 7-10/2013/10-2 (पार्ट).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 7-10/2013/10-2 (पार्ट), दिनांक 15-06-2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अतुल कुमार शुक्ला, सचिव.

Naya Raipur the 15th June 2017

No. F 7-10/2013/10-2 (part).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Indian Forest Act, 1927 (No. 16 of 1927), the State Government, hereby, declares that it has been decided to constitute the following land with Khasra Number and area as shown in columns (4) and (5) respectively of the Schedule mentioned below and within such situation and limits as specified in column (6) and (7) of the said Schedule as Reserved Forest and, appoints the Sub-Divisional Officer (Revenue), Janjgir Sub-Division to act as the Forest Settlement-Officer to inquire into and determine the existence, nature and extent of any rights alleged to exist in favour of any person in or over any land comprised in the said Schedule or in or over any forest-produce and to deal with the same in accordance with the provisions of Chapter II of the said Act namely :—

SCHEDULE

District- Janjgir Champa, Tahsil-Akaltara, Forest Division-Janjgir-Champa Forest Range-Baloda

S. No.	Name of Forest Block	Patwari Halka Number and Name of Revenue Village where Block Situated	Khasra Numbers	Area in Hectare	Situation/Limits		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
1.	Pouna	Pouna P.H.No.-18	11/4	45.000	**North :** **East :** **South :** **West :**	1 to 5. 5 to 7. 7 to 10. 10 to 17.	North - Taga East - Taga South - Pouna West - Pouna
		Total	**01**	**45.000**			

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ATUL KUMAR SHUKLA, Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 15 जून 2017

क्रमांक एफ 7-10/2013/10-2 (पार्ट).—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह घोषित करती है कि नीचे उल्लिखित अनुसूची के कॉलम (4) एवं (5) में क्रमश: यथा दर्शित निम्नलिखित खसरा नम्बर एवं क्षेत्र की भूमि को, उक्त अनुसूची के कॉलम (6) एवं (7) में यथा विनिर्दिष्ट अवस्थिति एवं सीमाओं के भीतर आरक्षित वन के रूप में गठित करने का विनिश्चय किया गया है और उक्त अनुसूची में समाविष्ट किसी भूमि में या उस पर अथवा किसी वनोपज में या उस पर किसी व्यक्ति के पक्ष में कथित रूप से विद्यमान किसी अधिकार की विद्यमानता, प्रकृति एवं सीमा की जांच और निर्धारण के लिये तथा उक्त अधिनियम के अध्याय-दो के उपबंधों के अनुसार उसका निराकरण करने के लिये अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), चांपा उप-

खण्ड को वन व्यवस्थापन अधिकारी के रूप में कार्य करने हेतु नियुक्त करती है, अर्थात् :—

अनुसूची

जिला-जांजगीर-चांपा, तहसील-चांपा, वन मंडल-जांजगीर-चांपा, वन परिक्षेत्र-बलौदा

स. क्र.	वन खण्ड का नाम	पटवारी हल्का नंबर एवं राजस्व ग्राम का नाम, जहां वन खण्ड अवस्थित है	खसरा नंबर	क्षेत्रफल हेक्टेयर में	अवस्थिति/सीमाएं	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1.	कुरदा	कुरदा प.ह.नं.-01	1237/4 1237/5	15.799 11.943	**उत्तर :** 1 से 6. **पूर्व :** 6 से 10. **दक्षिण :** 10 से 12. **पश्चिम :** 12 से 14.	उत्तर - महुंदा. पूर्व - कुरदा. दक्षिण - चांपा. पश्चिम - हसदेव नदी.
		योग	**02**	**27.742**		

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अतुल कुमार शुक्ला, सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 15 जून 2017

क्रमांक एफ 7-10/2013/10-2 (पार्ट).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 7-10/2013/10-2 (पार्ट), दिनांक 15-06-2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अतुल कुमार शुक्ला, सचिव.

Naya Raipur the 15th June 2017

No. F 7-10/2013/10-2 (part).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Indian Forest Act, 1927 (No. 16 of 1927), the State Government, hereby, declares that it has been decided to constitute the following land with Khasra Number and area as shown in columns (4) and (5) respectively of the Schedule mentioned below and within such situation and limits as specified in column (6) and (7) of the said Schedule as Reserved Forest and, appoints the Sub-Divisional Officer (Revenue), Champa Sub-Division to act as the Forest Settlement-Officer to inquire into and determine the existence, nature and extent of any rights alleged to exist in favour of any person in or over any land comprised in the said Schedule or in or over any forest-produce and to deal with the

same in accordance with the provisions of Chapter II of the said Act namely :—

SCHEDULE

District- Janjgir Champa, Tahsil-Champa, Forest Division-Janjgir-Champa Forest Range-Baloda

S. No.	Name of Forest Block	Patwari Halka Number and Name of Revenue Village where Block Situated	Khasra Numbers	Area in Hectare	Situation/Limits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Kurda	Kurda P.H.No.-01	1237/4 1237/5	15.799 11.943	**North :** 1 to 6. North - Mahuda **East :** 6 to 10. East - Kurda **South :** 10 to 12. South - Champa **West :** 12 to 14. West - Hasdeo River
		Total	**02**	**27.742**	

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ATUL KUMAR SHUKLA, Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 15 जून 2017

क्रमांक एफ 7-10/2013/10-2 (पार्ट).—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह घोषित करती है कि नीचे उल्लिखित अनुसूची के कॉलम (4) एवं (5) में क्रमशः यथा दर्शित निम्नलिखित खसरा नम्बर एवं क्षेत्र की भूमि को, उक्त अनुसूची के कॉलम (6) एवं (7) में यथा विनिर्दिष्ट अवस्थिति एवं सीमाओं के भीतर आरक्षित वन के रूप में गठित करने का विनिश्चय किया गया है और उक्त अनुसूची में समाविष्ट किसी भूमि में या उस पर अथवा किसी वनोपज में या उस पर किसी व्यक्ति के पक्ष में कथित रूप से विद्यमान किसी अधिकार की विद्यमानता, प्रकृति एवं सीमा की जांच और निर्धारण के लिये तथा उक्त अधिनियम के अध्याय-दो के उपबंधों के अनुसार उसका निराकरण करने के लिये अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डोंगरगढ़ उप-खण्ड को वन व्यवस्थापन अधिकारी के रूप में कार्य करने हेतु नियुक्त करती है, अर्थात् :—

अनुसूची

जिला-राजनांदगांव, वन मंडल-खैरागढ़, तहसील-डोंगरगढ़, वन परिक्षेत्र-उत्तर बोरतलाव

स. क्र.	वन खण्ड का नाम	पटवारी हल्का नंबर एवं राजस्व ग्राम का नाम, जहां वन खण्ड अवस्थित है	खसरा नंबर	क्षेत्रफल हेक्टेयर में	अवस्थिति/सीमाएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	खुर्सीपार पश्चिम	खुर्सीपार खुर्द प.ह.नं.-01	21	2.000	**पूर्व :** ग्राम खुर्सीपार, लगानी भूमि एवं अस्थाई मुनारा क्र. 02 से 05. **पश्चिम :** संरक्षित वन कक्ष क्र. पी/412 एवं अस्थाई मुनारा क्र. 11 से 15. **उत्तर :** ग्राम खुर्सीपार, लगानी भूमि एवं अस्थाई मुनारा क्र. 01 एवं 16 से 19.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					दक्षिण : आरक्षित वन कक्ष क्र. 393 एवं अस्थाई मुनारा क्र. 06 से 10.
					अक्षांश / **देशांश**
					N-21°16'00.4" E-80°43'30.8"
					N-21°16'01.7" E-80°43'28.4"
					N-21°16'01.6" E-80°43'26.0"
					N-21°15'59.2" E-80°43'23.1"
					N-21°15'56.9" E-80°43'19.6"
					N-21°15'56.2" E-80°43'16.7"
					N-21°15'54.7" E-80°43'12.9"
					N-21°15'55.3" E-80°43'11.3"
					N-21°15'53.0" E-80°43'08.5"
					N-21°15'51.8" E-80°43'08.7"
					N-21°15'52.6" E-80°43'10.5"
					N-21°15'53.6" E-80°43'14.0"
					N-21°15'53.9" E-80°43'17.8"
					N-21°15'53.5" E-80°43'19.2"
					N-21°15'54.2" E-80°43'21.9"
					N-21°15'56.8" E-80°43'24.2"
					N-21°15'58.1" E-80°43'26.5"
					N-21°15'58.8" E-80°43'28.2"
					N-21°15'59.0" E-80°43'30.4"
		योग	**01**	**2.000**	

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अतुल कुमार शुक्ल, सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 15 जून 2017

क्रमांक एफ 7-10/2013/10-2 (पार्ट).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 7-10/2013/10-2 (पार्ट), दिनांक 15-06-2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अतुल कुमार शुक्ल, सचिव.

Naya Raipur the 15th June 2017

No. F 7-10/2013/10-2 (part).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Indian Forest Act, 1927 (No. 16 of 1927), the State Government, hereby, declares that it has been decided to constitute the following land with Khasra Number and area as shown in columns (4) and (5) respectively of the Schedule mentioned below and within such situation and limits as specified in column (6) of the said Schedule as Reserved Forest and, appoints the Sub-Divisional Officer (Revenue), Dongargarh Sub-Division to act as the Forest Settlement-Officer to inquire into and determine the existence, nature and extent of any rights alleged to exist in favour of any person in or over any land comprised in the said Schedule or in or over any forest-produce and to deal with the same

in accordance with the provisions of Chapter II of the said Act namely :—

SCHEDULE

District- Rajnandgaon, Forest Division-Khairagarh, Tahsil-Dongargarh, Forest Range-North Bortalao

S. No.	Name of Forest Block	Patwari Halka Number and Revenue Village where Block Situated	Khasra Numbers	Area in Hectare	Situation/Limits	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1.	Khursipar West	P.H.No.-01 Village Khursipar Khurda	21	2.000	**East :** Village Khursipar, Lagani Land and Temprary Pillar No. 02 to 05.	
					West : PF Area Compartment No. P/412 and Temprary Pillor No. 11 to 15.	
					North : Village Khursipar, Lagani Land and Temprary Pillor No. 01 and 16 to 19.	
					South : RF Area Compartment No. 393 and Temprary Pillor No. 06 to 10.	
					Latitude	**Longitude**
					N-21°16'00.4"	E-80°43'30.8"
					N-21°16'01.7"	E-80°43'28.4"
					N-21°16'01.6"	E-80°43'26.0"
					N-21°15'59.2"	E-80°43'23.1"
					N-21°15'56.9"	E-80°43'19.6"
					N-21°15'56.2"	E-80°43'16.7"
					N-21°15'54.7"	E-80°43'12.9"
					N-21°15'55.3"	E-80°43'11.3"
					N-21°15'53.0"	E-80°43'08.5"
					N-21°15'51.8"	E-80°43'08.7"
					N-21°15'52.6"	E-80°43'10.5"
					N-21°15'53.6"	E-80°43'14.0"
					N-21°15'53.9"	E-80°43'17.8"
					N-21°15'53.5"	E-80°43'19.2"
					N-21°15'54.2"	E-80°43'21.9"
					N-21°15'56.8"	E-80°43'24.2"
					N-21°15'58.1"	E-80°43'26.5"
					N-21°15'58.8"	E-80°43'28.2"
					N-21°15'59.0"	E-80°43'30.4"
		Total	**01**	**2.000**		

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ATUL KUMAR SHUKLA, Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 15 जून 2017

क्रमांक एफ 7-10/2013/10-2 (पार्ट).—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह घोषित करती है कि नीचे उल्लिखित अनुसूची के कॉलम (4) एवं (5) में क्रमश: यथा दर्शित निम्नलिखित खसरा नम्बर एवं क्षेत्र की भूमि को, उक्त अनुसूची के कॉलम (6) में यथा विनिर्दिष्ट अवस्थिति एवं सीमाओं के भीतर आरक्षित वन के रूप में गठित करने का विनिश्चय किया गया है और उक्त अनुसूची में समाविष्ट किसी भूमि में या उस पर अथवा किसी वनोपज

में या उस पर किसी व्यक्ति के पक्ष में कथित रूप से विद्यमान किसी अधिकार की विद्यमानता, प्रकृति एवं सीमा की जांच और निर्धारण के लिये तथा उक्त अधिनियम के अध्याय-दो के उपबंधों के अनुसार उसका निराकरण करने के लिये अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रा-रोड उप-खण्ड को वन व्यवस्थापन अधिकारी के रूप में कार्य करने हेतु नियुक्त करती है, अर्थात् :—

अनुसूची

जिला-बिलासपुर, वनमंडल-मरवाही, तहसील-गौरेला, वन परिक्षेत्र-गौरेला

स. क्र.	वन खण्ड का नाम	पटवारी हल्का नंबर एवं राजस्व ग्राम का नाम, जहां वन खण्ड अवस्थित है	खसरा नंबर	क्षेत्रफल हेक्टेयर में	अवस्थिति/सीमाएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	पडवनिया	24	39/1 239 240	35.000 55.000 80.000	**उत्तर :** कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 01 से 32 एवं सर्वे मुनारा क्र. 32 से संरक्षित वनखण्ड कोटरियाडांड की सीमा रेखा. **पूर्व :** संरक्षित वनखण्ड कोटरियाडांड की सीमा रेखा से संरक्षित वन खण्ड केंवची की सीमा रेखा. **दक्षिण :** संरक्षित वन खण्ड केंवची एवं संरक्षित वन खण्ड केंवची से संरक्षित वन खण्ड पकरिया की सीमा रेखा. **पश्चिम :** संरक्षित वनखण्ड पकरिया की सीमा रेखा से सर्वे मुनारा क्र. 01.
		योग	**3**	**170.000**	

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अतुल कुमार शुक्ल, सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 15 जून 2017

क्रमांक एफ 7-10/2013/10-2 (पार्ट).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 7-10/2013/10-2 (पार्ट), दिनांक 15-06-2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अतुल कुमार शुक्ल, सचिव.

Naya Raipur the 15th June 2017

No. F 7-10/2013/10-2 (part).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Indian Forest Act, 1927 (No. 16 of 1927), the State Government, hereby, declares that it has been decided to constitute the following land with Khasra Number and area as shown in columns (4) and (5) respectively of the Schedule mentioned below and within such situation and limits as specified in column (6) of the said Schedule as Reserved Forest

and, appoints the Sub-Divisional Officer (Revenue), Pendra-Road Sub-Division to act as the Forest Settlement-Officer to inquire into and determine the existence, nature and extent of any rights alleged to exist in favour of any person in or over any land comprised in the said Schedule or in or over any forest-produce and to deal with the same in accordance with the provisions of Chapter-II of the said Act namely :—

SCHEDULE

District- Bilaspur, Forest Division-Marwahi, Tahsil-Gaurella, Forest Range-Gaurella

S. No.	Name of Forest Block	Patwari Halka Number and Name of Revenue Village where Block Situated	Khasra Numbers	Area in Hectare	Situation/Limits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Padwaniya	24	39/1 239 240	35.000 55.000 80.000	**North :** Artificial Boundary line Survey pillar No. 01 to 32 and survey pillar No. 32 Protected forest block Kutiyardand boundary line. **East :** Protected forest block Kutiyardand boundary line to Protected forest block Kewachi boundary line. **South :** Protected forest block Kewachi and Protect forest block Kewachi to Protected forest block Pakariya boundary line. **West :** Protected forest block Pakariya boundary line to survey pillar No. 01.
		Total	**3**	**170.000**	

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ATUL KUMAR SHUKLA, Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 15 जून 2017

क्रमांक एफ 7-10/2013/10-2 (पार्ट).—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह घोषित करती है कि नीचे उल्लिखित अनुसूची के कॉलम (4) एवं (5) में क्रमशः यथा दर्शित निम्नलिखित खसरा नम्बर एवं क्षेत्र की भूमि को, उक्त अनुसूची के कॉलम (6) में यथा विनिर्दिष्ट अवस्थिति एवं सीमाओं के भीतर आरक्षित वन के रूप में गठित करने का विनिश्चय किया गया है और उक्त अनुसूची में समाविष्ट किसी भूमि में या उस पर अथवा किसी वनोपज में या उस पर किसी व्यक्ति के पक्ष में कथित रूप से विद्यमान किसी अधिकार की विद्यमानता, प्रकृति एवं सीमा की जांच और निर्धारण के लिये तथा उक्त अधिनियम के अध्याय-दो के उपबंधों के अनुसार उसका निराकरण करने के लिये अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), धरमजयगढ़

उप-खण्ड को वन व्यवस्थापन अधिकारी के रूप में कार्य करने हेतु नियुक्त करती है, अर्थात् :—

अनुसूची

जिला-रायगढ़, वनमंडल-धरमजयगढ़, तहसील-धरमजयगढ़, वन परिक्षेत्र-धरमजयगढ़

स. क्र.	वन खण्ड का नाम	पटवारी हल्का नंबर एवं राजस्व ग्राम का नाम, जहां वन खण्ड अवस्थित है	खसरा नंबर	क्षेत्रफल हेक्टेयर में	अवस्थिति/सीमाएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	चैनपुर	40 चैनपुर	244/1 क	2.676	**उत्तर :** दयाराम आत्मज सुखराम खसरा नं. 244/1 एवं कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 01 से 02 एवं 16 से 22. **पूर्व :** संरक्षित वन 445 संरक्षित वन एवं खसरा नं. 4/1 क तथा कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 13 से 15. **दक्षिण :** जुकितराम आत्मज गरुड़सिंह खसरा नं. 244/17 एवं कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 5 से 12. **पश्चिम :** जुड़ावन आत्मज रामभरोस खसरा नं. 244/12 एवं कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 03 से 04.
		योग	**01**	**2.676**	

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अतुल कुमार शुक्ल, सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 15 जून 2017

क्रमांक एफ 7-10/2013/10-2 (पार्ट).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 7-10/2013/10-2 (पार्ट), दिनांक 15-06-2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अतुल कुमार शुक्ल, सचिव.

Naya Raipur the 15th June 2017

No. F 7-10/2013/10-2 (part).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Indian Forest Act, 1927 (No. 16 of 1927), the State Government, hereby, declares that it has been decided to constitute the following land with Khasra Number and area as shown in columns (4) and (5) respectively of the Schedule mentioned below and within such situation and limits as specified in column (6) of the said Schedule as Reserved Forest and, appoints the Sub-Divisional Officer (Revenue), Dharamjaigarh Sub-Division to act as the Forest Settlement-Officer to inquire into and determine the existence, nature and extent of any rights alleged to exist in favour of

any person in or over any land comprised in the said Schedule or in or over any forest-produce and to deal with the same in accordance with the provisions of Chapter-II of the said Act namely :—

SCHEDULE

District- Raigarh, Forest Division-Dharamjaigarh, Tahsil-Dharamjaigarh, Forest Range-Dharamjaigarh

S. No.	Name of Forest Block	Patwari Halka Number and Name of Revenue Village where Block Situated	Khasra Numbers	Area in Hectare	Situation/Limits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Chainpur	40 Chainpur	244/1 K	2.676	**North :** Dayaram S/o Sukhram Khasra No. 244/1 and Artificial Boundary Line Survey pillar No. 01 to 02 and 16 to 22. **East :** Protected forest 445 PF and Khasra No. 4/1 K and Artificial Boundary Line Survey pillar No. 13 to 15. **South :** Jukit Ram S/o Garud Singh Khasra No. 244/17 and Artificial Boundary Line Survey pillar No. 5 to 12. **West :** Judawan S/o Rambharos Khasra No. 244/12 and Artificial Boundary Line Survey pillar No. 03 to 04.
		Total	**01**	**2.676**	

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ATUL KUMAR SHUKLA, Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 15 जून 2017

क्रमांक एफ 7-10/2013/10-2 (पार्ट).—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह घोषित करती है कि नीचे उल्लिखित अनुसूची के कॉलम (4) एवं (5) में क्रमशः यथा दर्शित निम्नलिखित खसरा नम्बर एवं क्षेत्र की भूमि को, उक्त अनुसूची के कॉलम (6) में यथा विनिर्दिष्ट अवस्थिति एवं सीमाओं के भीतर आरक्षित वन के रूप में गठित करने का विनिश्चय किया गया है और उक्त अनुसूची में समाविष्ट किसी भूमि में या उस पर अथवा किसी वनोपज में या उस पर किसी व्यक्ति के पक्ष में कथित रूप से विद्यमान किसी अधिकार की विद्यमानता, प्रकृति एवं सीमा की जांच और निर्धारण के लिये तथा उक्त अधिनियम के अध्याय-दो के उपबंधों के अनुसार उसका निराकरण करने के लिये अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), धरमजयगढ़ उप-खण्ड को वन व्यवस्थापन अधिकारी के रूप में कार्य करने हेतु नियुक्त करती है, अर्थात् :—

अनुसूची

जिला-रायगढ़, वनमंडल-धरमजयगढ़, तहसील-धरमजयगढ़, वन परिक्षेत्र-धरमजयगढ़

स. क्र.	वन खण्ड का नाम	पटवारी हल्का नंबर एवं राजस्व ग्राम का नाम, जहां वन खण्ड अवस्थित है	खसरा नंबर	क्षेत्रफल हेक्टेयर में	अवस्थिति/सीमाएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	चैनपुर	40 चैनपुर	4/1 क	38.324	**उत्तर :** शासकीय भूमि एवं कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 01 से 04 एवं 32.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					पूर्व : संरक्षित वन 445 संरक्षित वन एवं कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 28 से 31. **दक्षिण :** नाला (कोरिया नाला) खसरा नं. 228 एवं कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 09 से 27. **पश्चिम :** चमारसिंह खसरा नं. 244/1 छ एवं कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 05 से 08.
		योग	**01**	**38.324**	

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अतुल कुमार शुक्ल, सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 15 जून 2017

क्रमांक एफ 7-10/2013/10-2 (पार्ट).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 7-10/2013/10-2 (पार्ट), दिनांक 15-06-2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अतुल कुमार शुक्ल, सचिव.

Naya Raipur the 15th June 2017

No. F 7-10/2013/10-2 (part).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Indian Forest Act, 1927 (No. 16 of 1927), the State Government, hereby, declares that it has been decided to constitute the following land with Khasra Number and area as shown in columns (4) and (5) respectively of the Schedule mentioned below and within such situation and limits as specified in column (6) of the said Schedule as Reserved Forest and, appoints the Sub-Divisional Officer (Revenue), Dharamjaigarh Sub-Division to act as the Forest Settlement-Officer to inquire into and determine the existence, nature and extent of any rights alleged to exist in favour of any person in or over any land comprised in the said Schedule or in or over any forest-produce and to deal with the same in accordance with the provisions of Chapter-II of the said Act namely :—

SCHEDULE

District- Raigarh, Forest Division-Dharamjaigarh, Tahsil-Dharamjaigarh, Forest Range-Dharamjaigarh

S. No.	Name of Forest Block	Patwari Halka Number and Revenue Village where Block Situated	Khasra Numbers	Area in Hectare	Situation/Limits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Chainpur	40 Chainpur	4/1 K	38.324	**North :** Government Land and Artificial Boundary Line Survey pillar No. 01 to 4 and 32.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					East : Protected forest 445 PF and Artificial Boundary Line Survey pillar No. 28 to 31. **South :** Nala (Koria Nala) Khasra No. 288 and Artificial Boundary Line Survey pillar No. 09 to 27. **West :** Chamar Singh Khasra No. 244/1 Cha and Artificial Boundary Line Survey pillar No. 05 to 08.
		Total	**01**	**38.324**	

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ATUL KUMAR SHUKLA, Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 15 जून 2017

क्रमांक एफ 7-10/2013/10-2 (पार्ट).—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह घोषित करती है कि नीचे उल्लिखित अनुसूची के कॉलम (4) एवं (5) में क्रमश: यथा दर्शित निम्नलिखित खसरा नम्बर एवं क्षेत्र की भूमि को, उक्त अनुसूची के कॉलम (6) में यथा विनिर्दिष्ट अवस्थिति एवं सीमाओं के भीतर आरक्षित वन के रूप में गठित करने का विनिश्चय किया गया है और उक्त अनुसूची में समाविष्ट किसी भूमि में या उस पर अथवा किसी वनोपज में या उस पर किसी व्यक्ति के पक्ष में कथित रूप से विद्यमान किसी अधिकार की विद्यमानता, प्रकृति एवं सीमा की जांच और निर्धारण के लिये तथा उक्त अधिनियम के अध्याय-दो के उपबंधों के अनुसार उसका निराकरण करने के लिये अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), धरमजयगढ़ उप-खण्ड को वन व्यवस्थापन अधिकारी के रूप में कार्य करने हेतु नियुक्त करती है, अर्थात् :—

अनुसूची

जिला-रायगढ़, वनमंडल-धरमजयगढ़, तहसील-धरमजयगढ़, वन परिक्षेत्र-बोरो

स. क्र.	वन खण्ड का नाम	पटवारी हल्का नंबर एवं राजस्व ग्राम का नाम, जहां वन खण्ड अवस्थित है	खसरा नंबर	क्षेत्रफल हेक्टेयर में	अवस्थिति/सीमाएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	खम्हार	00044 खम्हार	323/1 क/1	15.000	**उत्तर :** गंगाराम आत्मज मुखी सिंह की भूमि खसरा नं. 320/1 एवं कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 18 से 22. **पूर्व :** शासकीय भूमि एवं कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 01 से 03. **दक्षिण :** सुखसिंह आत्मज गेन्दाराम की भूमि खसरा नं. 325/1 एवं कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 04 से 10. **पश्चिम :** बुधनी पति चंदन की भूमि खसरा नं. 322 एवं कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 11 से 17.
		योग	**01**	**15.000**	

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अतुल कुमार शुक्ल, सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 15 जून 2017

क्रमांक एफ 7-10/2013/10-2 (पार्ट).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 7-10/2013/10-2 (पार्ट), दिनांक 15-06-2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अतुल कुमार शुक्ला, सचिव.

Naya Raipur the 15th June 2017

No. F 7-10/2013/10-2 (part).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Indian Forest Act, 1927 (No. 16 of 1927), the State Government, hereby, declares that it has been decided to constitute the following land with Khasra Number and area as shown in columns (4) and (5) respectively of the Schedule mentioned below and within such situation and limits as specified in column (6) of the said Schedule as Reserved Forest and, appoints the Sub-Divisional Officer (Revenue), Dharamjaigarh Sub-Division to act as the Forest Settlement-Officer to inquire into and determine the existence, nature and extent of any rights alleged to exist in favour of any person in or over any land comprised in the said Schedule or in or over any forest-produce and to deal with the same in accordance with the provisions of Chapter II of the said Act namely :—

SCHEDULE

District- Raigarh, Forest Division-Dharamjaigarh, Tahsil-Dharamjaigarh, Forest Range-Boro

S. No.	Name of Forest Block	Patwari Halka Number and Revenue Village where Block Situated	Khasra Numbers	Area in Hectare	Situation/Limits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Khamhar	00044 Khamhar	323/1 K/1	15.000	**North :** Gangaram S/o Mukhi Singh ki Bhomi Khasra No. 320/1 and Artificial Boundary Line Survey pillar No. 18 to 22. **East :** Government Land and Artificial Boundary Line Survey pillar No. 01 to 03. **South :** Sukh Singh S/o Genda Ram ki Bhomi Khasra No. 325/1 and Artificial Boundary Line Survey pillar No. 04 to 10. **West :** Budhni W/o Chandan ki Bhomi Khasra No. 322 and Artificial Boundary Line Survey pillar No. 11 to 17.
		Total	**01**	**15.000**	

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ATUL KUMAR SHUKLA, Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 15 जून 2017

क्रमांक एफ 7-10/2013/10-2 (पार्ट).—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह घोषित करती है कि नीचे उल्लिखित अनुसूची के कॉलम (4) एवं (5) में क्रमशः यथा दर्शित निम्नलिखित खसरा नम्बर एवं क्षेत्र की भूमि को, उक्त अनुसूची के कॉलम (6) में यथा विनिर्दिष्ट अवस्थिति एवं सीमाओं के भीतर आरक्षित वन के रूप में गठित करने का विनिश्चय किया गया है और उक्त अनुसूची में समाविष्ट किसी भूमि में या उस पर अथवा किसी वनोपज में या उस पर किसी व्यक्ति के पक्ष में कथित रूप से विद्यमान किसी अधिकार की विद्यमानता, प्रकृति एवं सीमा की जांच और निर्धारण के लिये तथा उक्त अधिनियम के अध्याय-दो के उपबंधों के अनुसार उसका निराकरण करने के लिये अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), धरमजयगढ़ उप-खण्ड को वन व्यवस्थापन अधिकारी के रूप में कार्य करने हेतु नियुक्त करती है, अर्थात् :—

अनुसूची

जिला-रायगढ़, वनमंडल-धरमजयगढ़, तहसील-धरमजयगढ़, वन परिक्षेत्र-बोरो

स. क्र.	वन खण्ड का नाम	पटवारी हल्का नंबर एवं राजस्व ग्राम का नाम, जहां वन खण्ड अवस्थित है	खसरा नंबर	क्षेत्रफल हेक्टेयर में	अवस्थिति/सीमाएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	बताती	00001 बताती	285	10.000	**उत्तर :** राजस्व वन (बड़े झाड़) खसरा नं. 273/1 एवं कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 28 से 33. **पूर्व :** मोहर साय की भूमि खसरा नं. 291 एवं कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 01 से 14. **दक्षिण :** सीमा 679 आर एफ एवं कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 15 से 22. **पश्चिम :** देवसिंह की भूमि खसरा नं. 280/279 एवं कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 23 से 27.
		योग	**01**	**10.000**	

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अतुल कुमार शुक्ल, सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 15 जून 2017

क्रमांक एफ 7-10/2013/10-2 (पार्ट).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 7-10/2013/10-2 (पार्ट), दिनांक 15-06-2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अतुल कुमार शुक्ल, सचिव.

Naya Raipur the 15th June 2017

No. F 7-10/2013/10-2 (part).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Indian Forest Act, 1927 (No. 16 of 1927), the State Government, hereby, declares that it has been decided to constitute the following land with Khasra Number and area as shown in columns (4) and (5) respectively of the Schedule mentioned below and within such situation and limits as specified in column (6) of the said Schedule as Reserved Forest and, appoints the Sub-Divisional Officer (Revenue), Dharamjaigarh Sub-Division to act as the Forest Settlement-Officer to inquire into and determine the existence, nature and extent of any rights alleged to exist in favour of any person in or over any land comprised in the said Schedule or in or over any forest-produce and to deal with the same in accordance with the provisions of Chapter II of the said Act namely :—

SCHEDULE

District- Raigarh, Forest Division-Dharamjaigarh, Tahsil-Dharamjaigarh, Forest Range-Boro

S. No.	Name of Forest Block	Patwari Halka Number and Revenue Village where Block Situated	Khasra Numbers	Area in Hectare	Situation/Limits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Batati	00001 Batatai	285	10.000	**North :** Revenue Forest (BJ) Khasra No. 273/1 and Artificial Boundary Line Survey pillar No. 28 to 33. **East :** Mohar Sai ki Bhomi Khasra No. 291 and Artificial Boundary Line Survey pillar No. 01 to 14. **South :** Boundary 679 RF and Artificial Boundary Line Survey pillar No. 15 to 22. **West :** Dev Singh ki Bhomi Khasra No. 280/279 and Artificial Boundary Line Survey pillar No. 23 to 27.
		Total	**01**	**10.000**	

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ATUL KUMAR SHUKLA, Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 15 जून 2017

क्रमांक एफ 7-10/2013/10-2 (पार्ट).—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह घोषित करती है कि नीचे उल्लिखित अनुसूची के कॉलम (4) एवं (5) में क्रमश: यथा दर्शित निम्नलिखित खसरा नम्बर एवं क्षेत्र की भूमि को, उक्त अनुसूची के कॉलम (6) में यथा विनिर्दिष्ट अवस्थिति एवं सीमाओं के भीतर आरक्षित वन के रूप में गठित करने का विनिश्चय किया गया है और उक्त अनुसूची में समाविष्ट किसी भूमि में या उस पर अथवा किसी वनोपज में या उस पर किसी व्यक्ति के पक्ष में कथित रूप से विद्यमान किसी अधिकार की विद्यमानता, प्रकृति एवं सीमा की जांच और निर्धारण के लिये

तथा उक्त अधिनियम के अध्याय-दो के उपबंधों के अनुसार उसका निराकरण करने के लिये अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिल्हा उप-खण्ड को वन व्यवस्थापन अधिकारी के रूप में कार्य करने हेतु नियुक्त करती है, अर्थात् :—

अनुसूची

जिला-बिलासपुर, तहसील-बिलासपुर, वनमण्डल-बिलासपुर, वन परिक्षेत्र-बिलासपुर

स. क्र.	वन खण्ड का नाम	पटवारी हल्का नंबर एवं राजस्व ग्राम का नाम, जहां वन खण्ड अवस्थित है	खसरा नंबर	क्षेत्रफल हेक्टेयर में	अवस्थिति/सीमाएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	उरतुम	उरतुम (प.ह.नं.-18)	281 283 284	43.242 0.243 0.648	**उत्तर :** कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 01 से 18. **पूर्व :** कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 18 से 27. **दक्षिण :** कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 27 से 37. **पश्चिम :** कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 37 से 39 एवं 39 से 01.
		योग	**03**	**44.133**	
		कुल योग 1 वनखण्ड		**44.133**	

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अतुल कुमार शुक्ल, सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 15 जून 2017

क्रमांक एफ 7-10/2013/10-2 (पार्ट).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 7-10/2013/10-2 (पार्ट), दिनांक 15-06-2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अतुल कुमार शुक्ल, सचिव.

Naya Raipur the 15th June 2017

No. F 7-10/2013/10-2 (part).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Indian Forest Act, 1927 (No. 16 of 1927), the State Government, hereby, declares that it has been decided to constitute the following land with Khasra Number and area as shown in columns (4) and (5) respectively of the Schedule mentioned below and within such situation and limits as specified in column (6) of the said Schedule as Reserved Forest and, appoints the Sub-Divisional Officer (Revenue), Bilha Sub-Division to act as the Forest Settlement-Officer to inquire into and determine the existence, nature and extent of any rights alleged to exist in favour of any person in

or over any land comprised in the said Schedule or in or over any forest-produce and to deal with the same in accordance with the provisions of Chapter II of the said Act namely :—

SCHEDULE

District- Bilaspur, Tahsil-Bilaspur, Forest Division-Bilaspur, Forest Range-Bilaspur

S. No.	Name of Forest Block	Patwari Halka Number and Revenue Village where Blocks are Situated	Khasra Numbers	Area in Hectare	Situation/Limits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Urtum	Urtum (P.H.No.-18)	281 283 284	43.242 0.243 0.648	**North :** Artificial boundary line survey pillar No. 01 to 18. **East :** Artificial boundary line survey pillar No. 18 to 27. **South :** Artificial Boundary Line Survey pillar No. 27 to 37. **West :** Artificial boundary Line Survey pillar No. 37 to 39 and 39 to 01.
		Total	**03**	**44.133**	
	Grand Total 1 Forest Block			**44.133**	

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ATUL KUMAR SHUKLA, Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 15 जून 2017

क्रमांक एफ 7-10/2013/10-2 (पार्ट).—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह घोषित करती है कि नीचे उल्लिखित अनुसूची के कॉलम (4) एवं (5) में क्रमशः यथा दर्शित निम्नलिखित खसरा नम्बर एवं क्षेत्र की भूमि को, उक्त अनुसूची के कॉलम (6) में यथा विनिर्दिष्ट अवस्थिति एवं सीमाओं के भीतर आरक्षित वन के रूप में गठित करने का विनिश्चय किया गया है और उक्त अनुसूची में समाविष्ट किसी भूमि में या उस पर अथवा किसी वनोपज में या उस पर किसी व्यक्ति के पक्ष में कथित रूप से विद्यमान किसी अधिकार की विद्यमानता, प्रकृति एवं सीमा की जांच और निर्धारण के लिये तथा उक्त अधिनियम के अध्याय-दो के उपबंधों के अनुसार उसका निराकरण करने के लिये अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलासपुर उप-खण्ड को वन व्यवस्थापन अधिकारी के रूप में कार्य करने हेतु नियुक्त करती है, अर्थात् :—

अनुसूची

जिला-बिलासपुर, तहसील-बिलासपुर, वनमण्डल-बिलासपुर, वन परिक्षेत्र-बिलासपुर

स. क्र.	वन खण्ड का नाम	पटवारी हल्का नंबर एवं राजस्व ग्राम का नाम, जहां वन खण्ड अवस्थित है	खसरा नंबर	क्षेत्रफल हेक्टेयर में	अवस्थिति/सीमाएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	पौंसरा	पौंसरा (प.ह.नं.-12)	223/1	47.490	**उत्तर :** कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 27 से खारून नदी फ्लंक.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					पूर्व : खारून नदी की फ्लंक से कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 01 से 04. **दक्षिण :** कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 04 से 19. **पश्चिम :** कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 19 से 27.
		योग	**01**	**47.490**	
2.	खैराबाम्हू	खैरा (प.ह.नं.-6)	962	48.461	**उत्तर :** कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 01 से 05. **पूर्व :** कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 05 से 09. **दक्षिण :** कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 09 से 15. **पश्चिम :** कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 15 से 21 एवं 21 से 01.
		योग		**48.461**	
		बाम्बू (प.ह.नं.-9)	1138	10.331	
			1163	28.992	
		योग		**39.323**	
		योग	**03**	**87.748**	
		कुल योग 2 खण्ड		**135.274**	

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अतुल कुमार शुक्ल, सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 15 जून 2017

क्रमांक एफ 7-10/2013/10-2 (पार्ट).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 7-10/2013/10-2 (पार्ट), दिनांक 15-06-2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अतुल कुमार शुक्ल, सचिव.

Naya Raipur the 15th June 2017

No. F 7-10/2013/10-2 (part).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Indian Forest Act, 1927 (No. 16 of 1927), the State Government, hereby, declares that it has been decided to constitute the following land with Khasra Number and area as shown in columns (4) and (5) respectively of the Schedule mentioned below and within such situation and limits as specified in column (6) of the said Schedule as Reserved Forest and, appoints the Sub-Divisional Officer (Revenue), Bilaspur Sub-Division to act as the Forest Settlement-Officer to inquire into and determine the existence, nature and extent of any rights alleged to exist in favour of any

person in or over any land comprised in the said Schedule or in or over any forest-produce and to deal with the same in accordance with the provisions of Chapter II of the said Act namely :—

SCHEDULE

District- Bilaspur, Tahsil-Bilaspur, Forest Division-Bilaspur, Forest Range-Bilaspur

S. No.	Name of Forest Block	Patwari Halka Number and Revenue Village where Blocks are Situated	Khasra Numbers	Area in Hectare	Situation/Limits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Paunsara	Paunsara (P.H.No.-12)	223/1	47.490	**North :** Artificial boundary line survey pillar No. 27 to flank of kharudh river. **East :** Flank of kharudh river artificial boundary line survey pillar No. 01 to 04. **South :** Artificial boundary line survey pillar no. 04 to 19. **West :** Artificial boundary line survey pillar No. 19 to 27.
		Total	**01**	**47.490**	
2.	Khairabamhu	Khaira (P.H.No.-6)	962	48.461	**North :** Artificial boundary line survey pillar No. 01 to 05. **East :** Artificial boundary line survey pillar no. 05 to 9. **South :** Artificial boundary line survey pillar no. 9 to 15. **West :** Artificial boundary line survey pillar No. 15 to 21 and 21 to 01.
		Total		**48.461**	
		Bhamhu (P.H.No. 9)	1138 1163	10.331 28.992	
		Total		**39.323**	
		Total	**03**	**87.784**	
	Grand Total 2 block			**135.274**	

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ATUL KUMAR SHUKLA, Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 15 जून 2017

क्रमांक एफ 7-10/2013/10-2 (पार्ट).—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह घोषित करती है कि नीचे उल्लिखित अनुसूची के कॉलम (4) एवं (5) में क्रमश: यथा दर्शित निम्नलिखित खसरा नम्बर एवं क्षेत्र की भूमि को, उक्त अनुसूची के कॉलम (6) में यथा विनिर्दिष्ट अवस्थिति एवं सीमाओं के भीतर आरक्षित वन के रूप में गठित करने का विनिश्चय किया गया है और उक्त अनुसूची में समाविष्ट किसी भूमि में या उस पर अथवा किसी वनोपज में या उस पर किसी व्यक्ति के पक्ष में कथित रूप से विद्यमान किसी अधिकार की विद्यमानता, प्रकृति एवं सीमा की जांच और निर्धारण के लिये

तथा उक्त अधिनियम के अध्याय-दो के उपबंधों के अनुसार उसका निराकरण करने के लिये अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा उप-खण्ड को वन व्यवस्थापन अधिकारी के रूप में कार्य करने हेतु नियुक्त करती है, अर्थात् :—

अनुसूची

जिला-बिलासपुर, तहसील-बिल्हा, वनमण्डल-बिलासपुर, वन परिक्षेत्र-बिलासपुर

स. क्र.	वन खण्ड का नाम	पटवारी हल्का नंबर एवं राजस्व ग्राम का नाम, जहां वन खण्ड अवस्थित है	खसरा नंबर	क्षेत्रफल हेक्टेयर में	अवस्थिति/सीमाएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	देवरीखुर्द	देवरीखुर्द (प.ह.नं.-13)	438	35.000	**उत्तर :** कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 20 से 25. **पूर्व :** कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 25 से 32 एवं 01 से 07. **दक्षिण :** कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 07 से 13. **पश्चिम :** कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 13 से 20.
		योग	**01**	**35.000**	
2.	सकर्रा	सकर्रा (प.ह.नं.-23)	390	44.306	**उत्तर :** कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 01 से 09. **पूर्व :** कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 09 से 35. **दक्षिण :** कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 35 से 43. **पश्चिम :** कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 43 से नाला सीमा से कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 01.
		योग	**01**	**44.306**	
		कुल योग 2 खण्ड		**79.306**	

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अतुल कुमार शुक्ल, सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 15 जून 2017

क्रमांक एफ 7-10/2013/10-2 (पार्ट).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 7-10/2013/10-2 (पार्ट), दिनांक 15-06-2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अतुल कुमार शुक्ल, सचिव.

Naya Raipur the 15th June 2017

No. F 7-10/2013/10-2 (part).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Indian Forest Act, 1927 (No. 16 of 1927), the State Government, hereby, declares that it has been decided to constitute the following land with Khasra Number and area as shown in columns (4) and (5) respectively of the Schedule mentioned below and within such situation and limits as specified in column (6) of the said Schedule as Reserved Forest and, appoints the Sub-Divisional Officer (Revenue), Kota Sub-Division to act as the Forest Settlement-Officer to inquire into and determine the existence, nature and extent of any rights alleged to exist in favour of any person in or over any land comprised in the said Schedule or in or over any forest-produce and to deal with the same in accordance with the provisions of Chapter II of the said Act namely :—

SCHEDULE

District- Bilaspur, Tahsil-Bilha, Forest Division-Bilaspur, Forest Range-Bilaspur

S. No.	Name of Forest Block	Patwari Halka Number and Revenue Village where Blocks are Situated	Khasra Numbers	Area in Hectare	Situation/Limits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Devrikhurd	Devrikhurd (P.H.No.-13)	438	35.000	**North :** Artificial boundary line survey pillar No. 20 to 25. **East :** Artificial boundary line survey pillar No. 25 to 32 and 01 to 07. **South :** Artificial boundary line survey pillar no. 07 to 13. **West :** Artificial boundary line survey pillar No. 13 to 20.
		Total	**01**	**35.000**	
2.	Sakarra	Sakarra (P.H.No.-23)	390	44.306	**North :** Artificial boundary line survey pillar No. 01 to 09. **East :** Artificial boundary line survey pillar no. 09 to 35. **South :** Artificial boundary line survey pillar No. 35 to 43. **West :** Artificial boundary line survey pillar No. 43 to Nalla to artificial boundary line pillar No. 01.
		Total	**01**	**44.306**	
		Grand Total 2 block		**79.306**	

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ATUL KUMAR SHUKLA, Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 15 जून 2017

क्रमांक एफ 7-10/2013/10-2 (पार्ट).—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह घोषित करती है कि नीचे उल्लिखित अनुसूची के कॉलम (4) एवं (5) में क्रमशः यथा दर्शित निम्नलिखित खसरा नम्बर एवं क्षेत्र की भूमि को, उक्त अनुसूची के कॉलम (6) में यथा विनिर्दिष्ट अवस्थिति एवं सीमाओं के भीतर

आरक्षित वन के रूप में गठित करने का विनिश्चय किया गया है और उक्त अनुसूची में समाविष्ट किसी भूमि में या उस पर अथवा किसी वनोपज में या उस पर किसी व्यक्ति के पक्ष में कथित रूप से विद्यमान किसी अधिकार की विद्यमानता, प्रकृति एवं सीमा की जांच और निर्धारण के लिये तथा उक्त अधिनियम के अध्याय-दो के उपबंधों के अनुसार उसका निराकरण करने के लिये अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रा उप-खण्ड को वन व्यवस्थापन अधिकारी के रूप में कार्य करने हेतु नियुक्त करती है, अर्थात् :—

अनुसूची

जिला-बिलासपुर, तहसील-पेण्ड्रा, वनमण्डल-मरवाही, वन परिक्षेत्र-मरवाही

स. क्र.	वन खण्ड का नाम	पटवारी हल्का नंबर एवं राजस्व ग्राम का नाम, जहां वन खण्ड अवस्थित है	खसरा नंबर	क्षेत्रफल हेक्टेयर में	अवस्थिति/सीमाएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	मड़ई	मड़ई (प.ह.नं.-16)	493	33.906	**उत्तर :** कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 01 से 14. **पूर्व :** कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 14 से 23. **दक्षिण :** कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 23 से 27. **पश्चिम :** कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 27 से 33 एवं 33 से 01.
		योग	**01**	**33.906**	
2.	कोलबिर्रा (अ)	कोलबिर्रा (प.ह.नं.-16)	121 212	1.133 36.761	**उत्तर :** कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 01 से 03 एवं 03 से सोन नदी का बंक तथा सोन नदी से सर्वे मुनारा क्र. 04. **पूर्व :** कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 04 से 11. **दक्षिण :** कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 11 से 15. **पश्चिम :** कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 15 से 31 एवं 31 से 01.
		योग	**02**	**37.894**	
3.	कोलबिर्रा (ख)	कोलबिर्रा (प.ह.नं.-16)	100 183	17.894 10.931	**उत्तर :** कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 01 से 21. **पूर्व :** कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 21 से 26. **दक्षिण :** कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 26 से 30. **पश्चिम :** कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 30 से 44 44 से 01.
		योग	**02**	**28.825**	
4.	पथर्रा (अ)	पथर्रा (प.ह.नं.-16)	244 315 239 329	44.930 4.458 4.558 5.269	**उत्तर :** कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 01 से 12. **पूर्व :** कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 12 से 30. **दक्षिण :** कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 30 से 42. **पश्चिम :** कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 42 से 53 एवं 53 से 01.
		योग	**04**	**59.215**	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5.	सेखवा	पथर्रा	687/1	17.206	**उत्तर :** कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 01 से 28.
		(प.ह.नं.-16)	350/1	0.90	**पूर्व :** कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 28 से 38.
					दक्षिण : कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 38 से 41.
		योग	**2**	**18.196**	**पश्चिम :** कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 41 से 57 एवं 57 से 01.
		सेखवा	1408/1	10.000	
		(प.ह.नं.-16)	1413/1	14.777	
			1148/1	14.574	
			1131/1	5.141	
		योग	**04**	**44.492**	
		मड़ई	195	5.076	
		(प.ह.नं.-16)	184	2.64	
			200	1.684	
		योग	**03**	**8.824**	
		कुल योग	**09**	**71.512**	
6.	कुम्हारी (ब)	कुम्हारी	1227/1	13.546	**उत्तर :** कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 01 से 47.
		(प.ह.नं.-8)	837/1	39.012	**पूर्व :** कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 47 से 75.
			737/1	21.943	**दक्षिण :** कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 75 से 90.
			778	58.704	**पश्चिम :** कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 90 से 96
			779, 816/1	81.117	एवं 96 से 01.
			704	3.910	
			726	3.109	
		योग	**08**	**221.341**	
7.	लोहारी	लोहारी	2009/8	45.595	**उत्तर :** कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 01 से 30.
		(प.ह.नं.-7)	2009	20.809	**पूर्व :** कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 30 से 62.
			1980/2, 1981/1	13.036	**दक्षिण :** कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 62 से 94.
			1955/1	13.967	**पश्चिम :** कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 94 से 101
			1933	1.619	एवं 101 से 01.
			1967	3.659	
			1981/1	13.174	
			1952/1	25.481	
		योग	**09**	**137.340**	
8.	कटरा	कटरा	4/1	105.000	**उत्तर :** कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 01 से 09.
		(प.ह.नं.-08)	1086/1	110.000	**पूर्व :** कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 09 से 24.
					दक्षिण : कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 24 से 26.
					पश्चिम : कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 26 से 37 एवं 37 से 01.
		योग	**02**	**215.000**	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9.	चिचगोहना	चिचगोहना (प.ह.नं.-4)	653	0.323	**उत्तर :** कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 01 से 05 एवं 05 से सोन नदी की सीमा रेखा.
			644/1	9.615	**पूर्व :** सोन नदी की सीमा रेखा से कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 06 से 15.
			94/1	5.101	**दक्षिण :** कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 15 से 57.
			106/1	39.331	**पश्चिम :** कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 57 से 65 एवं 65 से 01.
			67	1.526	
			92/1	12.306	
			32/1	7.611	
			61	19.757	
			77/1	10.485	
		योग	**09**	**106.055**	
10.	मालाडांड	मालाडांड (प.ह.नं.-03)	1	6.120	**उत्तर :** गुजर नाला की सीमा रेखा.
			7	2.962	**पूर्व :** गुजर नाला की सीमा रेखा.
			6/1	47.261	**दक्षिण :** गुजर नाला की सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 01 से 38.
			39/1	2.000	**पश्चिम :** कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 38 से 73 एवं 73 से गुजर नाला की सीमा रेखा.
			41/1	3.332	
			32/1	4.006	
			17/1	2.000	
			10	7.319	
		योग	**08**	**75.000**	
		कुल योग	**54**	**986.088**	

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अतुल कुमार शुक्ल, सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 15 जून 2017

क्रमांक एफ 7-10/2013/10-2 (पार्ट).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 7-10/2013/10-2 (पार्ट), दिनांक 15-06-2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अतुल कुमार शुक्ल, सचिव.

Naya Raipur the 15th June 2017

No. F 7-10/2013/10-2 (part).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Indian Forest Act, 1927 (No. 16 of 1927), the State Government, hereby, declares that it has been decided to constitute the following land with Khasra Number and area as shown in columns (4) and (5) respectively of the Schedule mentioned below and within such situation and limits as specified in column (6) of the said Schedule as Reserved Forest and, appoints the Sub-Divisional Officer (Revenue), Pendra Sub-Division to act as the Forest Settlement-

Officer to inquire into and determine the existence, nature and extent of any rights alleged to exist in favour of any person in or over any land comprised in the said Schedule or in or over any forest-produce and to deal with the same in accordance with the provisions of Chapter II of the said Act namely :—

SCHEDULE

District- Bilaspur, Tahsil-Pendra, Forest Division-Marwahi, Forest Range-Marwahi

S. No.	Name of Forest Block	Patwari Halka Number and Revenue Village where Blocks are Situated	Khasra Numbers	Area in Hectare	Situation/Limits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Madai	Madai (P.H.No.-16)	493	33.906	**North :** Artificial boundary line survey pillar No. 01 to 14. **East :** Artificial boundary line survey pillar No. 14 to 23. **South :** Artificial boundary line survey pillar no. 23 to 27. **West :** Artificial boundary line survey pillar No. 27 to 33 and 33 to 01.
		Total	**01**	**33.906**	
2.	Kolbira (A)	Kolbira (P.H.No.-16)	121 212	1.133 36.761	**North :** Artificial boundary line survey pillar No. 01 to 03 and 03 to Bank of Soan river and soan river to servey pillar No. 04. **East :** Artificial boundary line survey pillar no. 04 to 11. **South :** Artificial boundary line survey pillar No. 11 to 15. **West :** Artificial boundary line survey pillar No. 15 to 31 and 31 to 01.
		Total	**02**	**37.894**	
3.	Kolbira (B)	Kolbira (P.H.No.-16)	100 183	17.894 10.931	**North :** Artificial boundary line survey pillar No. 01 to 21. **East :** Artificial boundary line survey pillar no. 21 to 26. **South :** Artificial boundary line survey pillar No. 26 to 30. **West :** Artificial boundary line survey pillar No. 30 to 44 and 44 to 01.
		Total	**02**	**28.825**	
4.	Patharra (A)	Patharra (P.H.No.-16)	244 315 239 329	44.930 4.458 4.558 5.269	**North :** Artificial boundary line survey pillar No. 01 to 12. **East :** Artificial boundary line survey pillar no. 12 to 30. **South :** Artificial boundary line survey pillar No. 30 to 42. **West :** Artificial boundary line survey pillar No. 42 to 53 & 53 to 01.
		Total	**04**	**59.215**	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5.	Sekhwa	Patharra (P.H.No.-16)	687/1	17.206	**North :** Artificial boundary line survey pillar No. 01 to 28.
			350/1	0.990	**East :** Artificial boundary line survey pillar No. 28 to 38.
		Total	**2**	**18.196**	**South :** Artificial boundary line survey pillar no. 38 to 41.
		Sekhwa (P.H.No. 16)	1408/1	10.000	**West :** Artificial boundary line survey pillar No. 41 to 57 and 57 to 01.
			1413/1	14.777	
			1148/1	14.574	
			1131/1	5.141	
		Total	**04**	**44.492**	
		Madai (P.H.No. 16)	195	5.076	
			184	2.064	
			200	1.684	
		Total	**03**	**8.824**	
		Grand Total	**09**	**71.512**	
6.	Kumhari (B)	Kumhari (P.H.No.-08)	1227/1	13.546	**North :** Artificial boundary line survey pillar No. 01 to 47.
			837/1	39.012	**East :** Artificial boundary line survey pillar no. 47 to 75.
			737/1	21.943	**South :** Artificial boundary line survey pillar No. 75 to 90.
			778	58.704	**West :** Artificial boundary line survey pillar No. 90 to 96 and 96 to 01.
			779, 816/1	81.117	
			704	3.910	
			726	3.109	
		Total	**08**	**221.341**	
7.	Lohari	Lohari (P.H.No.-7)	2009/8	45.595	**North :** Artificial boundary line survey pillar No. 01 to 30.
			2009	20.809	**East :** Artificial boundary line survey pillar no. 30 to 62.
			1980/2, 1981/1	13.036	**South :** Artificial boundary line survey pillar No. 62 to 94.
			1955/1	13.967	**West :** Artificial boundary line survey pillar No. 94 to 101 and 101 to 01.
			1933	1.619	
			1967	3.659	
			1981/1	13.174	
			1952/1	25.481	
		Total	**09**	**137.340**	
8.	Katra	Katra (P.H.No.-08)	4/1	105.000	**North :** Artificial boundary line survey pillar No. 01 to 09.
			1086/1	110.000	**East :** Artificial boundary line survey pillar no. 09 to 24.
					South : Artificial boundary line survey pillar No. 24 to 26.
					West : Artificial boundary line survey pillar No. 26 to 37 and 37 to 01.
		Total	**02**	**215.000**	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9.	Chichgohna	Chichgohna (P.H.No.-4)	653	0.323	**North :** Artificial boundary line survey pillar No. 01 to 05 and 5 to sone river boundary line.
			644/1	9.615	**East :** Sone river boundary line to survey pillar No. 06 and survey pillar No. 06 to 15.
			94/1	5.101	**South :** Artificial boundary line survey pillar No. 15 to 57.
			106/1	39.331	**West :** Artificial boundary line survey pillar No. 57 to 65 and 65 to 01.
			67	1.526	
			92/1	12.306	
			32/1	7.611	
			61	19.757	
			77/1	10.485	
		Total	**09**	**106.055**	
10.	Maladand	Maladand (P.H.No.-03)	1	6.120	**North :** boundary line of Gujar nalla.
			7	2.962	**East :** boundary line of Gujar nalla.
			6/1	47.261	**South :** boundary line of Gujar nalla to Artificial boundary line survey pillar No. 01 to 38.
			39/1	2.000	**West :** Artificial boundary line survey pillar No. 38 to 73 and 73 to boundary line of Gujar nalla.
			41/1	3.332	
			32/1	4.006	
			17/1	2.000	
			10	7.319	
		Total	**08**	**75.000**	
		G. Total	**54**	**986.088**	

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ATUL KUMAR SHUKLA, Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 15 जून 2017

क्रमांक एफ 7-10/2013/10-2 (पार्ट).—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह घोषित करती है कि नीचे उल्लिखित अनुसूची के कॉलम (4) एवं (5) में क्रमश: यथा दर्शित निम्नलिखित खसरा नम्बर एवं क्षेत्र की भूमि को, उक्त अनुसूची के कॉलम (6) में यथा विनिर्दिष्ट अवस्थिति एवं सीमाओं के भीतर आरक्षित वन के रूप में गठित करने का विनिश्चय किया गया है और उक्त अनुसूची में समाविष्ट किसी भूमि में या उस पर अथवा किसी वनोपज में या उस पर किसी व्यक्ति के पक्ष में कथित रूप से विद्यमान किसी अधिकार की विद्यमानता, प्रकृति एवं सीमा की जांच और निर्धारण के लिये तथा उक्त अधिनियम के अध्याय-दो के उपबंधों के अनुसार उसका निराकरण करने के लिये अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मस्तूरी उप-खण्ड को वन व्यवस्थापन अधिकारी के रूप में कार्य करने हेतु नियुक्त करती है, अर्थात् :—

अनुसूची

जिला-बिलासपुर, तहसील-मस्तूरी, वनमण्डल-बिलासपुर, वन परिक्षेत्र-बिलासपुर

स. क्र.	वन खण्ड का नाम	पटवारी हल्का नंबर एवं राजस्व ग्राम का नाम, जहां वन खण्ड अवस्थित है	खसरा नंबर	क्षेत्रफल हेक्टेयर में	अवस्थिति/सीमाएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	कुकदा	कुकदा (प.ह.नं.-60)	5	1.539	**उत्तर :** कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 01 से 04.
			12	12.673	**पूर्व :** कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 04 से 16.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			27/4	1.012	**दक्षिण :** कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 16 से 24.
			54	26.397	**पश्चिम :** कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 24 से 44 एवं 44 से 01.
			55	11.774	
			56	64.778	
			58	0.324	
			59	0.202	
			113	2.024	
		योग	**09**	**120.723**	
2.	पतईडीह	पतईडीह (प.ह.नं.-48)	6	21.385	**उत्तर :** कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 01 से 03.
			49	56.328	**पूर्व :** कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 03 से 27.
					दक्षिण : कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 27 से 48.
		योग	**02**	**77.713**	**पश्चिम :** कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 48 से 57 एवं 57 से 01.
		जैतपुरी (प.ह.नं.-48)	1	37.777	
			3	36.312	
			103	0.134	
			100/1	6.300	
			101	0.769	
		योग	**05**	**81.291**	
		योग	**07**	**159.004**	
3.	चिल्हाटी	1. चिल्हाटी (प.ह.नं.-47)	6	0.717	**उत्तर :** कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 01 से 43.
			7	1.101	**पूर्व :** कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 43 से 70.
			8	0.073	**दक्षिण :** कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 70 से 90.
			12	1.417	**पश्चिम :** कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 90 से 121 एवं 121 से 01.
			11	49.101	
			4	9.340	
			2	19.619	
			16	3.401	
		योग	**08**	**84.769**	
		2. लोरहाबोड़ (प.ह.नं.-48)	419	52.381	
			420	11.344	
			421	11.798	
		योग	**03**	**75.522**	
		3. सेमराडीह (प.ह.नं.-48)	5	0.243	
			6	0.291	
			7	2.142	
			9	14.757	
			10	1.619	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			13	1.065	
			144	4.073	
			145	13.146	
			146	7.287	
			147	13.907	
			148	7.777	
			149	1.154	
		योग	**12**	**67.462**	
		4. पटईयाडीह (प.ह.नं.-48)	521	18.057	
		योग	**01**	**18.057**	
		5. सकुलकारी (प.ह.नं.-48)	741	14.874	
			778	23.874	
		योग	**02**	**38.749**	
		6. गोड़ाडीह (प.ह.नं.-48)	29/4	28.854	
			42/1	10.436	
			42/2	0.223	
			42/3	0.202	
			42/4	0.100	
			89	11.312	
			90	2.816	
			2/3 क	6.070	
			2/3 ख	0.101	
			4/1	15.049	
			4/2	0.232	
			1	13.564	
		योग	**12**	**88.959**	
		योग	**38**	**373.518**	
		कुल योग 03 खण्ड	**54**	**653.2451**	

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अतुल कुमार शुक्ला, सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 15 जून 2017

क्रमांक एफ 7-10/2013/10-2 (पार्ट).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 7-10/2013/10-2 (पार्ट), दिनांक 15-06-2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अतुल कुमार शुक्ल, सचिव.

Naya Raipur the 15th June 2017

No. F 7-10/2013/10-2 (part).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Indian Forest Act, 1927 (No. 16 of 1927), the State Government, hereby, declares that it has been decided to constitute the following land with Khasra Number and area as shown in columns (4) and (5) respectively of the Schedule mentioned below and within such situation and limits as specified in column (6) of the said Schedule as Reserved Forest and, appoints the Sub-Divisional Officer (Revenue), Masturi Sub-Division to act as the Forest Settlement-Officer to inquire into and determine the existence, nature and extent of any rights alleged to exist in favour of any person in or over any land comprised in the said Schedule or in or over any forest-produce and to deal with the same in accordance with the provisions of Chapter II of the said Act namely :—

SCHEDULE

District- Bilaspur, Tahsil-Masturi, Forest Division-Bilaspur, Forest Range-Bilaspur

S. No.	Name of Forest Block	Patwari Halka Number and Revenue Village where Blocks are Situated	Khasra Numbers	Area in Hectare	Situation/Limits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Kukada	Kukada	5	1.539	**North :** Artificial boundary line survey pillar No. 01 to 04.
		(P.H.No.-60)	12	12.673	
			27/1	1.012	**East :** Artificial boundary line survey pillar No. 04 to 16.
			54	26.397	
			55	11.774	**South :** Artificial boundary line survey pillar no. 16 to 24.
			56	64.778	
			58	0.324	**West :** Artificial boundary line survey pillar No. 24 to 44 and 44 to 01.
			59	0.202	
			113	2.024	
		Total	**09**	**120.723**	
2.	Pataidih	Pataidih	6	21.385	**North :** Artificial boundary line survey pillar No. 01 to 03.
		(P.H.No.-48)	49	56.328	**East :** Artificial boundary line survey pillar No. 03 to 27.
		Total	**02**	**77.713**	**South :** Artificial boundary line survey pillar no. 27 to 48.
		Jaitpuri	1	37.777	
		(P.H.No. 48)	3	36.312	**West :** Artificial boundary line survey pillar No. 48 to 57 & 57 to 01.
			103	0.134	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			100/1	6.300	
			101	0.769	
		Total	**05**	**81.291**	
		Total	**07**	**159.004**	
3.	Chilhati	1. Chilhati (P.H.No.-47)	6	0.717	**North :** Artificial boundary line survey pillar No. 01 to 43.
			7	1.101	**East :** Artificial boundary line survey pillar No. 43 to 70.
			8	0.073	**South :** Artificial boundary line survey pillar no. 70 to 90.
			12	1.417	**West :** Artificial boundary line survey pillar No. 90 to 121 and 121 to 01.
			11	49.101	
			4	9.340	
			2	19.619	
			16	3.401	
		Total	**08**	**84.769**	
		2. Lorhabod (P.H.No.-48)	419	52.381	
			420	11.344	
			421	11.798	
		Total	**03**	**75.522**	
		3. Semradih (P.H.No.-48)	5	0.243	
			6	0.291	
			7	2.142	
			9	14.757	
			10	1.619	
			13	1.065	
			144	4.073	
			145	13.146	
			146	7.287	
			147	13.907	
			148	7.777	
			149	1.154	
		Total	**12**	**67.462**	
		4. Pataiyadih (P.H.No.-48)	521	18.057	
		Total	**01**	**18.057**	
		5. Sakulkari (P.H.No.-48)	741	14.874	
			778	23.874	
		Total	**02**	**38.749**	
		6. Godadih (P.H.No.-48)	29/4	28.854	
			42/1	10.436	
			42/2	0.223	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			42/3	0.202	
			42/4	0.100	
			89	11.312	
			90	2.816	
			2/3 K	6.070	
			2/3 KH	0.101	
			4/1	15.049	
			4/2	0.232	
			1	13.564	
		Total	**12**	**88.959**	
		Total	**38**	**373.518**	
		Grand Total 3 block	**54**	**653.2451**	

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ATUL KUMAR SHUKLA, Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 15 जून 2017

क्रमांक एफ 7-10/2013/10-2 (पार्ट).—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह घोषित करती है कि नीचे उल्लिखित अनुसूची के कॉलम (4) एवं (5) में क्रमश: यथा दर्शित निम्नलिखित खसरा नम्बर एवं क्षेत्र की भूमि को, उक्त अनुसूची के कॉलम (6) में यथा विनिर्दिष्ट अवस्थिति एवं सीमाओं के भीतर आरक्षित वन के रूप में गठित करने का विनिश्चय किया गया है और उक्त अनुसूची में समाविष्ट किसी भूमि में या उस पर अथवा किसी वनोपज में या उस पर किसी व्यक्ति के पक्ष में कथित रूप से विद्यमान किसी अधिकार की विद्यमानता, प्रकृति एवं सीमा की जांच और निर्धारण के लिये तथा उक्त अधिनियम के अध्याय-दो के उपबंधों के अनुसार उसका निराकरण करने के लिये अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा उप-खण्ड को वन व्यवस्थापन अधिकारी के रूप में कार्य करने हेतु नियुक्त करती है, अर्थात् :—

अनुसूची

जिला-बिलासपुर, तहसील-कोटा, वनमण्डल-बिलासपुर, वन परिक्षेत्र-कोटा

स. क्र.	वन खण्ड का नाम	पटवारी हल्का नंबर एवं राजस्व ग्राम का नाम, जहां वन खण्ड अवस्थित है	खसरा नंबर	क्षेत्रफल हेक्टेयर में	अवस्थिति/सीमाएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	कोरी	कोरी (प.ह.नं.-47)	4/2	0.129	**उत्तर :** कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 01 से 07.
			4/2	0.514	**पूर्व :** कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 07 से 12.
			5	0.065	**दक्षिण :** कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 12 से 17.
			6/1	1.011	**पश्चिम :** कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 17 से 21 एवं 21 से 01.
			6/2	0.182	
			7	0.129	
			8	0.073	
			9	0.036	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			10	0.672	
			11	0.024	
			12	0.158	
			13	0.271	
			14	0.393	
			15/1	1.016	
			15/2	0.202	
			16	0.615	
			17	1.032	
			18	1.133	
			19	0.074	
		योग	**19**	**8.391**	

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अतुल कुमार शुक्ला, सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 15 जून 2017

क्रमांक एफ 7-10/2013/10-2 (पार्ट).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 7-10/2013/10-2 (पार्ट), दिनांक 15-06-2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अतुल कुमार शुक्ला, सचिव.

Naya Raipur the 15th June 2017

No. F 7-10/2013/10-2 (part).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Indian Forest Act, 1927 (No. 16 of 1927), the State Government, hereby, declares that it has been decided to constitute the following land with Khasra Number and area as shown in columns (4) and (5) respectively of the Schedule mentioned below and within such situation and limits as specified in column (6) of the said Schedule as Reserved Forest and, appoints the Sub-Divisional Officer (Revenue), Kota Sub-Division to act as the Forest Settlement-Officer to inquire into and determine the existence, nature and extent of any rights alleged to exist in favour of any person in or over any land comprised in the said Schedule or in or over any forest-produce and to deal with the same in accordance with the provisions of Chapter II of the said Act namely :—

SCHEDULE

District- Bilaspur, Tahsil-Kota, Forest Division-Bilaspur, Forest Range-Kota

S. No.	Name of Forest Block	Patwari Halka Number and Revenue Village where Blocks are Situated	Khasra Number	Area in Hectare	Situation/Limits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Kori	Kori (P.H.No.-47)	4/2 4/2	0.129 0.514	**North :** Artificial boundary line survey pillar No. 01 to 07.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			5	0.065	**East :** Artificial boundary line survey pillar No. 07 to 12.
			6/1	1.011	
			6/2	0.182	**South :** Artificial boundary line survey pillar no. 12 to 17.
			7	0.129	
			8	0.073	**West :** Artificial boundary line survey pillar No. 17 to 21 and pillar No. 21 to No. 01.
			9	0.036	
			10	0.672	
			11	0.024	
			12	0.158	
			13	0.271	
			14	0.393	
			15/1	1.016	
			15/2	0.202	
			16	0.615	
			17	1.032	
			18	1.133	
			19	0.74	
		Total	**19**	**8.391**	

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ATUL KUMAR SHUKLA, Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 15 जून 2017

क्रमांक एफ 7-10/2013/10-2 (पार्ट).—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह घोषित करती है कि नीचे उल्लिखित अनुसूची के कॉलम (4) एवं (5) में क्रमश: यथा दर्शित निम्नलिखित खसरा नम्बर एवं क्षेत्र की भूमि को, उक्त अनुसूची के कॉलम (6) में यथा विनिर्दिष्ट अवस्थिति एवं सीमाओं के भीतर आरक्षित वन के रूप में गठित करने का विनिश्चय किया गया है और उक्त अनुसूची में समाविष्ट किसी भूमि में या उस पर अथवा किसी वनोपज में या उस पर किसी व्यक्ति के पक्ष में कथित रूप से विद्यमान किसी अधिकार की विद्यमानता, प्रकृति एवं सीमा की जांच और निर्धारण के लिये तथा उक्त अधिनियम के अध्याय-दो के उपबंधों के अनुसार उसका निराकरण करने के लिये अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घरघोड़ा उप-खण्ड को वन व्यवस्थापन अधिकारी के रूप में कार्य करने हेतु नियुक्त करती है, अर्थात् :—

अनुसूची

जिला-रायगढ़, तहसील-तमनार, वनमण्डल-रायगढ़, वन परिक्षेत्र-तमनार

स. क्र.	वन खण्ड का नाम	पटवारी हल्का नंबर एवं राजस्व ग्राम का नाम, जहां वन खण्ड अवस्थित है	खसरा नंबर	क्षेत्रफल हेक्टेयर में	अवस्थिति/सीमाएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	पाता	11 पाता	625	0.384	**उत्तर :** कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 01 से 80.
			626	0.625	**पूर्व :** कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 08 से 14.
			611/1	0.250	**दक्षिण :** कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 14 से 17.
			611/2	0.324	**पश्चिम :** कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 17 से 01.
		योग	**4**	**1.610**	

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अतुल कुमार शुक्ल, सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 15 जून 2017

क्रमांक एफ 7-10/2013/10-2 (पार्ट).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 7-10/2013/10-2 (पार्ट), दिनांक 15-06-2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अतुल कुमार शुक्ल, सचिव.

Naya Raipur the 15th June 2017

No. F 7-10/2013/10-2 (part).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Indian Forest Act, 1927 (No. 16 of 1927), the State Government, hereby, declares that it has been decided to constitute the following land with Khasra Number and area as shown in columns (4) and (5) respectively of the Schedule mentioned below and within such situation and limits as specified in column (6) of the said Schedule as Reserved Forest and, appoints the Sub-Divisional Officer (Revenue), Gharghoda Sub-Division to act as the Forest Settlement-Officer to inquire into and determine the existence, nature and extent of any rights alleged to exist in favour of any person in or over any land comprised in the said Schedule or in or over any forest-produce and to deal with the same in accordance with the provisions of Chapter II of the said Act namely :—

SCHEDULE

District- Raigarh, Tahsil-Tamnar, Forest Division-Raigarh, Forest Range-Tamnar

S. No.	Name of Forest Block	Patwari Halka Number and Revenue Village where Blocks are Situated	Khasra Numbers	Area in Hectare	Situation/Limits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pata	11 Pata	625 626 611/1 611/2	0.384 0.652 0.250 0.324	**North :** Artificial boundary line survey pillar No. 01 to 08. **East :** Artificial boundary line survey pillar No. 08 to 14. **South :** Artificial boundary line survey pillar no. 14 to 17. **West :** Artificial boundary line survey pillar No. 17 to 01
		Total	**4**	**1.610**	

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ATUL KUMAR SHUKLA, Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 15 जून 2017

क्रमांक एफ 7-10/2013/10-2 (पार्ट).—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह घोषित करती है कि नीचे उल्लिखित अनुसूची के कॉलम (4) एवं (5) में क्रमश: यथा दर्शित निम्नलिखित खसरा नम्बर एवं क्षेत्र की भूमि को, उक्त अनुसूची के कॉलम (6) में यथा विनिर्दिष्ट अवस्थिति एवं सीमाओं के भीतर आरक्षित वन के रूप में गठित करने का विनिश्चय किया गया है और उक्त अनुसूची में समाविष्ट किसी भूमि में या उस पर अथवा किसी वनोपज

में या उस पर किसी व्यक्ति के पक्ष में कथित रूप से विद्यमान किसी अधिकार की विद्यमानता, प्रकृति एवं सीमा की जांच और निर्धारण के लिये तथा उक्त अधिनियम के अध्याय-दो के उपबंधों के अनुसार उसका निराकरण करने के लिये अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बोडला उप-खण्ड को वन व्यवस्थापन अधिकारी के रूप में कार्य करने हेतु नियुक्त करती है, अर्थात् :—

अनुसूची

जिला-कबीरधाम, वनमण्डल-कवर्धा, तहसील-बोडला, वन परिक्षेत्र-खारा

स. क्र.	वन खण्ड का नाम	पटवारी हल्का नंबर एवं राजस्व ग्राम का नाम, जहां वन खण्ड अवस्थित है	खसरा नंबर	क्षेत्रफल हेक्टेयर में	अवस्थिति/सीमाएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	मोहनटोला	प.ह.नं.-47 ग्राम-गीधनखार	140	1.905	**उत्तर :** संरक्षित वन. **पूर्व :** खसरा नं. 145/1 एवं 145/2. **दक्षिण :** खसरा नं. 141, 142, 143 एवं 144/2. **पश्चिम :** भिभोरी ग्राम की सीमा.
			143	3.400	**उत्तर :** खसरा नं. 140. **पूर्व :** खसरा नं. 144/1, 144/2 एवं 145/1. **दक्षिण :** खसरा नं. संरक्षित वन. **पश्चिम :** खसरा नं. 142.
			144/2	0.259	**उत्तर :** खसरा नं. 140. **पूर्व :** खसरा नं. 145/1. **दक्षिण :** खसरा नं. 144/1. **पश्चिम :** खसरा नं. 143.
			145/2	0.809	**उत्तर :** संरक्षित वन. **पूर्व :** खसरा नं. 146. **दक्षिण :** खसरा नं. 145/1. **पश्चिम :** खसरा नं. 140.
			146	1.790	**उत्तर , पूर्व एवं दक्षिण :** संरक्षित वन. **पश्चिम :** खसरा नं. 145/1 एवं 145/2.
		योग	**5**	**8.163**	**वन खण्ड का सीमा विवरण :—** **उत्तर :** मुनारा क्र. 01 से 03. **पूर्व :** मुनारा क्र. 03 से 05. **दक्षिण :** मुनारा क्र. 5 से 8. **पश्चिम :** मुनारा क्र. 08 से 01, भिभोरी ग्राम की सीमा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अतुल कुमार शुक्ल, सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 15 जून 2017

क्रमांक एफ 7-10/2013/10-2 (पार्ट).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 7-10/2013/10-2 (पार्ट), दिनांक 15-06-2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अतुल कुमार शुक्ल, सचिव.

Naya Raipur the 15th June 2017

No. F 7-10/2013/10-2 (part).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Indian Forest Act, 1927 (No. 16 of 1927), the State Government, hereby, declares that it has been decided to constitute the following land with Khasra Number and area as shown in columns (4) and (5) respectively of the Schedule mentioned below and within such situation and limits as specified in column (6) of the said Schedule as Reserved Forest and, appoints the Sub-Divisional Officer (Revenue), Bodla Sub-Division to act as the Forest Settlement-Officer to inquire into and determine the existence, nature and extent of any rights alleged to exist in favour of any person in or over any land comprised in the said Schedule or in or over any forest-produce and to deal with the same in accordance with the provisions of Chapter II of the said Act namely :—

SCHEDULE

District- Kabirdham, Forest Division-Kawardha, Tehsil-Bodla, Forest Range-Khara

S. No.	Name of Forest Block	Patwari Halka Number and Revenue Village where Block Situated	Khasra Numbers	Area in Hectare	Situation/Limits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Mohan Tola	P.H.No.-47 Village-Gidhankhar	140	1.905	**North :** P. F., **East :** Khasra No. 145/1 and 45/2. **South :** Khasra No. 141, 142, 143 and 144/2. **West :** Bhibhori village boundary.
			143	3.400	**North :** Khasra No. 140. **East :** Khasra No. 144/1, 144/2 and 145/1. **South :** P.F. **West :** Khasra No. 142.
			144/2	0.259	**North :** Khasra No. 140. **East :** Khasra No. 145/1. **South :** Khasra No. 144/1. **West :** Khasra No. 143.
			145/2	0.809	**North :** P.F. **East :** Khasra No. 146. **South :** Khasra No. 145/1. **West :** Khasra No. 140.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			146	1.790	**North, East & South :** P. F. **West :** Khasra No. 145/1 and 145/2.
		Total	**5**	**8.163**	**Limit details of Forest block :—** **North :** Pillar No. 01 to 03. **East :** Pillar No. 03 to 05. **South :** Pillar No. 5 to 8. **West :** Pillar No. 08 to 01 limit of village Bhibhori.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ATUL KUMAR SHUKLA, Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 15 जून 2017

क्रमांक एफ 7-10/2013/10-2 (पार्ट).—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह घोषित करती है कि नीचे उल्लिखित अनुसूची के कॉलम (4) एवं (5) में क्रमश: यथा दर्शित निम्नलिखित खसरा नम्बर एवं क्षेत्र की भूमि को, उक्त अनुसूची के कॉलम (6) में यथा विनिर्दिष्ट अवस्थिति एवं सीमाओं के भीतर आरक्षित वन के रूप में गठित करने का विनिश्चय किया गया है और उक्त अनुसूची में समाविष्ट किसी भूमि में या उस पर अथवा किसी वनोपज में या उस पर किसी व्यक्ति के पक्ष में कथित रूप से विद्यमान किसी अधिकार की विद्यमानता, प्रकृति एवं सीमा की जांच और निर्धारण के लिये तथा उक्त अधिनियम के अध्याय-दो के उपबंधों के अनुसार उसका निराकरण करने के लिये अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मस्तुरी उप-खण्ड को वन व्यवस्थापन अधिकारी के रूप में कार्य करने हेतु नियुक्त करती है, अर्थात् :—

अनुसूची

जिला-बिलासपुर, वनमण्डल-बिलासपुर, तहसील-मस्तुरी, वन परिक्षेत्र-बिलासपुर

स. क्र.	वन खण्ड का नाम	पटवारी हल्का नंबर एवं राजस्व ग्राम का नाम, जहां वन खण्ड अवस्थित है	खसरा नंबर	क्षेत्रफल हेक्टेयर में	अवस्थिति/सीमाएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	जैतपुरी	पतईडीह (प.ह.नं.-48)	6	21.385	**उत्तर :** कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 01 से 03.
			49	56.328	**पूर्व :** कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 03 से 27. **दक्षिण :** कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 27 से 48.
		योग	**02**	**77.713**	**पश्चिम :** कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 48 से 57 एवं 57 से 01.
		जैतपुरी (प.ह.नं.-48)	1	37.777	
			3	36.312	
			103	0.134	
			100/1	6.300	
			101	0.769	
		योग	**05**	**81.291**	
		योग	**07**	**159.004**	

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अतुल कुमार शुक्ल, सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 15 जून 2017

क्रमांक एफ 7-10/2013/10-2 (पार्ट).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 7-10/2013/10-2 (पार्ट), दिनांक 15-06-2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अतुल कुमार शुक्ल, सचिव.

Naya Raipur the 15th June 2017

No. F 7-10/2013/10-2 (part).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Indian Forest Act, 1927 (No. 16 of 1927), the State Government, hereby, declares that it has been decided to constitute the following land with Khasra Number and area as shown in columns (4) and (5) respectively of the Schedule mentioned below and within such situation and limits as specified in column (6) of the said Schedule as Reserved Forest and, appoints the Sub-Divisional Officer (Revenue), Masturi Sub-Division to act as the Forest Settlement-Officer to inquire into and determine the existence, nature and extent of any rights alleged to exist in favour of any person in or over any land comprised in the said Schedule or in or over any forest-produce and to deal with the same in accordance with the provisions of Chapter II of the said Act namely :—

SCHEDULE

District- Bilaspur, Forest Division-Bilaspur, Tehsil-Masturi, Forest Range-Bilaspur

S. No.	Name of Forest Block	Patwari Halka Number and Revenue Village where Block Situated	Khasra Numbers	Area in Hectare	Situation/Limits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Jaitpuri	Pataidih (P.H.No.-48)	6	21.385	**North :** Artificial boundary line survey pillar No. 01 to 03.
			49	56.328	**East :** Artificial boundary line survey pillar No. 03 to 27.
		Total	**02**	**77.713**	**South :** Artificial boundary line survey pillar no. 27 to 48.
		Jaitpuri (P.H.No. 48)	1	37.777	**West :** Artificial boundary line survey pillar No. 48 to 57 and 57 to 01.
			3	36.312	
			103	0.134	
			100/1	6.300	
			101	0.769	
		Total	**05**	**81.291**	
		Total	**07**	**159.004**	

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ATUL KUMAR SHUKLA, Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 15 जून 2017

क्रमांक एफ 7-10/2013/10-2 (पार्ट).—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह घोषित करती है कि नीचे उल्लिखित अनुसूची के कॉलम (4) एवं (5) में क्रमश: यथा दर्शित निम्नलिखित खसरा नम्बर एवं क्षेत्र की भूमि को, उक्त अनुसूची के कॉलम (6) में यथा विनिर्दिष्ट अवस्थिति एवं सीमाओं के भीतर आरक्षित वन के रूप में गठित करने का विनिश्चय किया गया है और उक्त अनुसूची में समाविष्ट किसी भूमि में या उस पर अथवा किसी वनोपज में या उस पर किसी व्यक्ति के पक्ष में कथित रूप से विद्यमान किसी अधिकार की विद्यमानता, प्रकृति एवं सीमा की जांच और निर्धारण के लिये तथा उक्त अधिनियम के अध्याय-दो के उपबंधों के अनुसार उसका निराकरण करने के लिये अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मस्तुरी उप-खण्ड को वन व्यवस्थापन अधिकारी के रूप में कार्य करने हेतु नियुक्त करती है, अर्थात् :—

अनुसूची

जिला-बिलासपुर, तहसील-मस्तुरी, वनमण्डल-बिलासपुर, वन परिक्षेत्र-बिलासपुर

स. क्र.	वन खण्ड का नाम	पटवारी हल्का नंबर एवं राजस्व ग्राम का नाम, जहां वन खण्ड अवस्थित है	खसरा नंबर	क्षेत्रफल हेक्टेयर में	अवस्थिति/सीमाएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	लोहर्सी	1- लोहर्सी (प.ह.नं. 51)	3/1 क	19.700	**उत्तर :** कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 01 से 25.
			3/1 ख	0.506	**पूर्व :** कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 25 से 62.
			3/1 ह	22.198	**दक्षिण :** कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 62 से 84.
			3/1 ग	20.174	**पश्चिम :** कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 84 से 99 एवं 99 से 01.
			3/1 त	1.316	
			3/1 थ	1.312	
			3/1 द	1.312	
			3/1 ध	6.154	
			3/1 न	0.445	
			3/1 प	12.158	
			3/1 फ 1	1.417	
			3/1 फ 2	20.174	
			3/1 फ 3	0.826	
			3/1 फ 4	0.490	
			3/1 फ 5	2.838	
			3/1 ब	1.316	
			3/1 भ	0.437	
			3/1 य	3.364	
			3/1/2	0.219	
			3/1/ज	3.364	
			3/1/3	0.219	
			3/1/च	3.364	
			3/1/4	0.219	
			87	1.235	
			134/1 क	5.490	
			334/1 ग	1.215	
			137/1	11.312	
			137/3	0.405	
			138/1	7.247	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			188/3	4.049	
			140	9.474	
			136	9.514	
			2851/6	2.445	
			2851/7	5.202	
			3076/10	0.324	
			2851/1	1.211	
			2851/1	0.870	
			2851/1 क	0.870	
			1301	15.789	
			1305	7.004	
			2004	17.611	
			2005/1	11.417	
			2005/1 क	3.036	
			2006	12.429	
			2829	9.474	
			2830	11.271	
			2831	12.559	
			2832	11.215	
			2833/1	9.960	
			2833/3	0.202	
			2834	10.688	
			2835	10.316	
			2836	9.717	
			2837/1	9.049	
			2837/3	0.061	
			2838/1	9.109	
			2838/3	0.202	
			2839/1	8.097	
			2839/3	0.506	
			2840	9.190	
			2841	11.093	
			2842	10.356	
			3658/1	9.960	
			3678	7.004	
			3/1 व	20.012	
			3/1 ज/1	3.267	
			2865	4.534	
		योग	**67**	**439.514**	
		2- बोहारडीह (प.ह.नं. 51)	1	1.117	
			2	0.955	
			3	2.557	
			4	2.610	
			91	11.332	
			92	2.228	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			93	6.836	
		योग	**7**	**27.635**	
		कुल योग	**74**	**467.149**	
		कुल योग 01 वन खण्ड		**467.149**	

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अतुल कुमार शुक्ला, सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 15 जून 2017

क्रमांक एफ 7-10/2013/10-2 (पार्ट).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 7-10/2013/10-2 (पार्ट), दिनांक 15-06-2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अतुल कुमार शुक्ला, सचिव.

Naya Raipur the 15th June 2017

No. F 7-10/2013/10-2 (part).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Indian Forest Act, 1927 (No. 16 of 1927), the State Government, hereby, declares that it has been decided to constitute the following land with Khasra Number and area as shown in columns (4) and (5) respectively of the Schedule mentioned below and within such situation and limits as specified in column (6) of the said Schedule as Reserved Forest and, appoints the Sub-Divisional Officer (Revenue), Masturi Sub-Division to act as the Forest Settlement-Officer to inquire into and determine the existence, nature and extent of any rights alleged to exist in favour of any person in or over any land comprised in the said Schedule or in or over any forest-produce and to deal with the same in accordance with the provisions of Chapter II of the said Act namely :—

SCHEDULE

District- Bilaspur, Tehsil-Masturi, Forest Division-Bilaspur, Forest Range-Bilaspur

S. No.	Name of Forest Block	Patwari Halka Number and Revenue Village where Blocks are Situated	Khasara Numbers	Area in Hectare	Situation/Limits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Loharsi	1- Loharsi	3/1 क	19.700	**North :** Artificial boundary line survey
		(P.H.No. 51)	3/1 ख	0.506	pillar No. 01 to 25.
			3/1 ह	22.198	**East :** Artificial boundary line survey
			3/1 ग	20.174	pillar No. 25 to 62.
			3/1 त	1.316	**South :** Artificial boundary line survey
			3/1 थ	1.312	pillar no. 62 to 84.
			3/1 द	1.312	**West :** Artificial boundary line survey
			3/1 ध	6.154	pillar No. 84 to 99 and 99 to 01.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			3/1 न	0.445	
			3/1 प	12.158	
			3/1 फ 1	1.417	
			3/1 फ 2	20.174	
			3/1 फ 3	0.826	
			3/1 फ 4	0.490	
			3/1 फ 5	2.838	
			3/1 ब	1.316	
			3/1 भ	0.437	
			3/1 य	3.364	
			3/1/2	0.219	
			3/1/ज	3.364	
			3/1/3	0.219	
			3/1/च	3.364	
			3/1/4	0.219	
			87	1.235	
			134/1 क	5.490	
			134/1 ग	1.215	
			137/1	11.312	
			137/3	0.405	
			138/1	7.247	
			188/3	4.049	
			140	9.474	
			136	9.514	
			2851/6	2.445	
			2851/7	5.202	
			3076/10	0.324	
			2851/1	1.211	
			2851/1	0.870	
			2851/1 क	0.870	
			1301	15.789	
			1305	7.004	
			2004	17.611	
			2005/1	11.417	
			2005/1 क	3.036	
			2006	12.429	
			2829	9.474	
			2830	11.271	
			2831	12.559	
			2832	11.215	
			2833/1	9.960	
			2833/3	0.202	
			2834	10.688	
			2835	10.316	
			2836	9.717	
			2837/1	9.049	
			2837/3	0.061	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			2838/1	9.109	
			2838/3	0.202	
			2839/1	8.097	
			2839/3	0.506	
			2840	9.190	
			2841	11.093	
			2842	10.356	
			3658/1	9.960	
			3678	7.004	
			3/1 व	20.012	
			3/1 ज/1	3.267	
			2865	4.534	
		योग	**67**	**439.514**	
		2- Bohardih (P.H.No. 51)	1	1.117	
			2	0.955	
			3	2.557	
			4	2.610	
			91	11.332	
			92	2.228	
			93	6.836	
		Total	**7**	**27.635**	
		Total	**74**	**467.149**	
	Grand Total 01 Orange block			**467.149**	

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ATUL KUMAR SHUKLA, Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 15 जून 2017

क्रमांक एफ 7-10/2013/10-2 (पार्ट).—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह घोषित करती है कि नीचे उल्लिखित अनुसूची के कॉलम (4) एवं (5) में क्रमश: यथा दर्शित निम्नलिखित खसरा नम्बर एवं क्षेत्र की भूमि को, उक्त अनुसूची के कॉलम (6) में यथा विनिर्दिष्ट अवस्थिति एवं सीमाओं के भीतर आरक्षित वन के रूप में गठित करने का विनिश्चय किया गया है और उक्त अनुसूची में समाविष्ट किसी भूमि में या उस पर अथवा किसी वनोपज में या उस पर किसी व्यक्ति के पक्ष में कथित रूप से विद्यमान किसी अधिकार की विद्यमानता, प्रकृति एवं सीमा की जांच और निर्धारण के लिय

तथा उक्त अधिनियम के अध्याय-दो के उपबंधों के अनुसार उसका निराकरण करने के लिये अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), छुईखदान उप-खण्ड को वन व्यवस्थापन अधिकारी के रूप में कार्य करने हेतु नियुक्त करती है, अर्थात् :—

अनुसूची

जिला-राजनांदगांव, वन मण्डल-खैरागढ़, तहसील-खैरागढ़, वन परिक्षेत्र-खैरागढ़

स. क्र.	वन खण्ड का नाम	पटवारी हल्का नंबर एवं राजस्व ग्राम का नाम, जहां वन खण्ड अवस्थित है	खसरा नंबर	क्षेत्रफल हेक्टेयर में	अवस्थिति/सीमाएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	आरक्षित वन माथा अ	प.ह.नं. 3 ग्राम मुंहडबरी	04	3.180	**पूर्व** : राजस्व घास भूमि खसरा नं. 03 एवं वन कक्ष पी/215 की सीमा रेखा. **पश्चिम** : राजस्व घास भूमि खसरा नं. 08/09, 09/02 एवं अन्य तथा वन कक्ष पी/215 की सीमा रेखा. **उत्तर** : वन कक्ष पी/215 की सीमा रेखा. **दक्षिण** : राजस्व घास भूमि खसरा नं. 62/02, 60 एवं 63/01 की सीमा रेखा.
		योग	**01**	**3.180**	

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अतुल कुमार शुक्ल, सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 15 जून 2017

क्रमांक एफ 7-10/2013/10-2 (पार्ट).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 7-10/2013/10-2 (पार्ट), दिनांक 15-06-2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अतुल कुमार शुक्ल, सचिव.

Naya Raipur the 15th June 2017

No. F 7-10/2013/10-2 (part).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Indian Forest Act, 1927 (No. 16 of 1927), the State Government, hereby, declares that it has been decided to constitute the following land with Khasra Number and area as shown in columns (4) and (5) respectively of the Schedule mentioned below and within such situation and limits as specified in column (6) of the said Schedule as Reserved Forest and, appoints the Sub-Divisional Officer (Revenue), Chuikhadan Sub-Division to act as the Forest Settlement-Officer to inquire into and determine the existence, nature and extent of any rights alleged to exist in favour of any person in or over any land comprised in the said Schedule or in or over any forest-produce and to deal with the same

in accordance with the provisions of Chapter II of the said Act namely :—

SCHEDULE

District- Rajnandgaon,　Forest Division-Khairagarh,　Tahsil-Khairagarh,　Forest Range-Khairagarh

S. No.	Name of Forest Block	Patwari Halka Number and Revenue Village where Blocks Situated	Khasra Number	Area in Hectare	Situation/Limits	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1.	R. F. Matha A	P.H.No. 3 Village Muhdabri	04	3.180	**East :**	Area of Revenue Grass land Khasra no. 03 and Boundary line or Forest Compartment P/215.
					West :	Area of Revenue Grass land Khasra no. 08/09, 09/02 and other and Boundary line of Forest Compartment P/215.
					North :	Boundary line of Forest Compartment P/215.
					South :	Boundary line of Area of Revenue Grass land Khasra no. 62/02, 60 and 63/01.
		Total	**01**	**3.180**		

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ATUL KUMAR SHUKLA, Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 15 जून 2017

क्रमांक एफ 7-10/2013/10-2 (पार्ट).—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह घोषित करती है कि नीचे उल्लिखित अनुसूची के कॉलम (4) एवं (5) में क्रमश: यथा दर्शित निम्नलिखित खसरा नम्बर एवं क्षेत्र की भूमि को, उक्त अनुसूची के कॉलम (6) में यथा विनिर्दिष्ट अवस्थिति एवं सीमाओं के भीतर आरक्षित वन के रूप में गठित करने का विनिश्चय किया गया है और उक्त अनुसूची में समाविष्ट किसी भूमि में या उस पर अथवा किसी वनोपज में या उस पर किसी व्यक्ति के पक्ष में कथित रूप से विद्यमान किसी अधिकार की विद्यमानता, प्रकृति एवं सीमा की जांच और निर्धारण के लिय तथा उक्त अधिनियम के अध्याय-दो के उपबंधों के अनुसार उसका निराकरण करने के लिये अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कुसमी उप-खण्ड को वन व्यवस्थापन अधिकारी के रूप में कार्य करने हेतु नियुक्त करती है, अर्थात् :—

अनुसूची

जिला-बलरामपुर,　वन मण्डल-बलरामपुर　तहसील-सामरी (कुसमी),　वन परिक्षेत्र-चान्दो

स. क्र.	वन खण्ड का नाम	पटवारी हल्का नंबर एवं राजस्व ग्राम का नाम, जहां वन खण्ड अवस्थित है	खसरा नंबर	क्षेत्रफल हेक्टेयर में	अवस्थिति/सीमाएं	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1.	खराकोना (अ)	10/जलजली	17	0.234	**उत्तर** :	ग्राम गदामी की सीमा, मुनारा क्र. 01 से 26
			18	0.462		एवं खसरा नं. 21 की पूर्वी पश्चिमी तथा

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			19	0.672	दक्षिणी सीमा होते हुए खराकोना नाला, मुनारा क्र. 26, 27 से खसरा नं. 25, 30, 52 की बाहरी सीमा होते हुए मुनारा क्र. 70 तक खराकोना नाला मुनारा क्र. 70 से 75, खसरा नं. 26 की बाहरी सीमा, खराकोना नाला होते हुए मुनारा क्र. 76 तक, मुनारा क्र. 76 से 87, खसरा नं. 37 के पश्चिमी दक्षिणी, पूर्वी से मुनारा क्र. 88 तक. **पूर्व** : मुनारा क्र. 88 से 95, खसरा नं. 41 की पश्चिमी सीमा होते हुए मुनारा क्र. 95 से 108. **दक्षिण** : मुनारा क्र. 108 से 115 खसरा नं. 101 की उत्तरी सीमा, मुनारा क्र. 115 से 120 खसरा नं. 95/3 की पूर्वी, उत्तरी पश्चिमी सीमा, मुनारा क्र. 120 से 125, खसरा नं. 83 की उत्तरी सीमा, मुनारा क्र. 125 से 148, खसरा नं. 59 की उत्तरी सीमा, मुनारा क्र. 148 से 160 खसरा नं. 62 की दक्षिणी सीमा, मुनारा क्र. 160 से 165, खसरा नं. 60 एवं 61 की उत्तरी सीमा, मुनारा क्र. 165 से 170 खसरा नं. 62 की उत्तरी पश्चिमी सीमा. **पश्चिम** : मुनारा क्र. 170 से 174 तक खसरा नं. 12 की पूर्वी सीमा, मुनारा क्र. 174 से 181 खसरा नं. 16 की पूर्वी, उत्तरी पश्चिमी सीमा, मुनारा क्र. 181 से 01 तक खसरा नं. 11 की पूर्वी सीमा ग्राम गदामी की सीमा तक.
			20	1.676	
			15/1	0.740	
			14/1	0.150	
			14/2	0.149	
			13	0.454	
			15/2	0.749	
			24	3.998	
			57	0.918	
			56	1.582	
			55/2	0.240	
			55/3	0.200	
			55/1	0.300	
			53	0.696	
			96	0.291	
			97	0.251	
			95/1	0.307	
			95/2	0.407	
			95/4	0.307	
			98	0.821	
			99	0.121	
			49	0.700	
			100/2	0.200	
			100/1	0.201	
			45	0.117	
			43	1.683	
			50	0.356	
			42	0.611	
			51	0.206	
			34	0.462	
			35	1.027	
			32	0.304	
			33/2	0.299	
			33/1	0.300	
			36	0.785	
			40	0.615	
			29	0.688	
			28	2.025	
			38	0.299	
			26	0.356	
			23	0.194	
		योग	**43**	**27.153**	
2.	खराकोना (ब)	10/जलजली	144/4	0.469	**उत्तर** : खसरा नं. 62 के दक्षिणी सीमा से लगे हुए मुनारा क्र. 96 से मुनारा क्र. 93, मुनारा क्र.– 93 से 90, खसरा नं. 59 की पश्चिमी सीमा, मुनारा क्र. 90 से 83, खसरा नं. 76 की
			144/3	0.457	
			144/2	0.467	
			144/1	0.467	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			143/4	0.211	पश्चिमी एवं दक्षिणी सीमा, मुनारा क्र. 83 से 79 खसरा नं. 73/2, 74/2, की पूर्वी पश्चिमी एवं दक्षिणी सीमा तक मुनारा क्र. 79 से 77 खसरा नं. 76 की दक्षिणी सीमा तक. **पूर्व :** मुनारा क्र. 77 से 71, खसरा नं. 113 की पश्चिमी सीमा, मुनारा क्र. 71 से 63 खसरा नं. 122 की पश्चिमी सीमा एवं दक्षिणी सीमा तक, मुनारा क्र. 63 से 61 खसरा नं. 125/2 की पश्चिमी एवं दक्षिणी सीमा, मुनारा क्र. 61 से 60 खसरा नं. 122 की पश्चिमी सीमा, मुनारा क्र. 60 से 58 खसरा नं. 214/2 की पश्चिमी एवं दक्षिणी सीमा. **दक्षिण :** मुनारा क्र. 58 से 53, खसरा नं. 213 की उत्तरी एवं पश्चिमी सीमा, मुनारा क्र. 53 से 46 खसरा नं. 211 की उत्तरी एवं पश्चिमी सीमा, मुनारा क्र. 46 से 43 खसरा नं. 210 की उत्तरी सीमा. **पश्चिम :** मुनारा क्र. 43 से 41, सामरी से सबाग मार्ग, मुनारा क्र. 41 से 25, खसरा नं. 838 एवं 130 की बाहरी सीमा, मुनारा क्र. 25 से 21, खसरा नं. 134 की पूर्वी एवं उत्तरी सीमा, मुनारा क्र. 21 से 19 एवं सामरी से सबाग मार्ग, मुनारा क्र. 19 से 17 खसरा नं. 60 की पूर्वी सीमा, सामरी से सबाग मार्ग से मुनारा क्र. 17 के माध्यम से सबाग मार्ग, मुनारा क्र. 16 तक, मुनारा क्र. 16 से 10 से सामरी से सबाग मार्ग, मुनारा क्र. 01 से 96 खसरा नं. 63 की पूर्वी सीमा.
			143/3	0.210	
			143/2	0.210	
			143/1	0.210	
			142/2	0.623	
			142/1	0.623	
			64/2	0.506	
			64/1	0.505	
			65	1.327	
			66	0.874	
			67	1.753	
			68	0.660	
			69	1.497	
			75	0.125	
			73/1	0.480	
			72	0.575	
			138/1	0.905	
			138/2	0.904	
			133	0.918	
			132	1.015	
			131	1.133	
			135/1	0.516	
			135/2	0.516	
			214/1	0.139	
			136	1.987	
			128	1.133	
			125/1	0.225	
			126/1	0.895	
			126/2	0.894	
			129	1.538	
			209	0.821	
		योग	**35**	**25.788**	

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अतुल कुमार शुक्ल, सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 15 जून 2017

क्रमांक एफ 7-10/2013/10-2 (पार्ट).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 7-10/2013/10-2 (पार्ट), दिनांक 15-06-2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अतुल कुमार शुक्ल, सचिव.

Naya Raipur the 15th June 2017

No. F 7-10/2013/10-2 (part).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Indian Forest Act, 1927 (No. 16 of 1927), the State Government, hereby, declares that it has been decided to constitute the following land with Khasra Number and area as shown in columns (4) and (5) respectively of the Schedule mentioned below and within such situation and limits as specified in column (6) of the said Schedule as Reserved Forest and, appoints the Sub-Divisional Officer (Revenue), Kusmi Sub-Division to act as the Forest Settlement-Officer to inquire into and determine the existence, nature and extent of any rights alleged to exist in favour of any person in or over any land comprised in the said Schedule or in or over any forest-produce and to deal with the same in accordance with the provisions of Chapter II of the said Act namely :—

SCHEDULE

District- Balrampur, Forest Division-Balrampur, Tahsil-Samri (Kusmi), Forest Range-Chando

S. No.	Name of Forest Block	Patwari Halka Number and Revenue Village where Block Situated	Khasra Number	Area in Hectare	Situation/Limits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Kharakona (A)	10/Jaljali	17	0.234	**North :** Village boundary of Gadami, Pillar No. 01 to 26 and East, West and South boundary of Khasra No. 21, Kharakona nala, Pillar No. 26, 27 to the outer boundary of Khasra No. 25, 30, 52 till Pillar No. 70, Kharakona nala, pillar No. 70 to 75, outer boundary of Khasra No. 26, the Kharakona nala upto Pillar No. 76, from Pillar No. 76 to 87, Western, Eastern, South Boundary of Khasra No. 37 till Pillar No. 88. **East :** Pillar No. 88 to 95, the western boundary of Khasra No. 41 to Pillar No. 95 to 108. **South :** Pillar No. 108 to 115 to North boundary of Khasra No. 101, Pillar No. 115 to 120 to the Eastern, North western boundary of Khasra No. 95/3, Pillar No. 120 to 125 the North boundary of Khasra No. 83, Pillar No. 125 to 148, the North boundary of Khasra No. 59, Pillar No. 148 to 160 the South boundary of Khasra No. 62, Pillar No. 160 to 165, the North boundary of Khasra No. 60 and 61, Pillar No. 165 to 170 the North Western boundary of Khasra No. 62. **West :** Pillar No. 170 to 174 upto the Eastern boundary of Khasra No. 12, Pillar No. 174 of 181 the Eastertn, Northern western boundary of khasra No. 16, Pillar No. 181 to 01 upto the Eastern boundary of Khasra No. 11 till the Boundary of Village Gadami.
			18	0.462	
			19	0.672	
			20	1.676	
			15/1	0.740	
			14/1	0.150	
			14/2	0.149	
			13	0.454	
			15/2	0.749	
			24	3.998	
			57	0.918	
			56	1.582	
			55/2	0.240	
			55/3	0.200	
			55/1	0.300	
			53	0.696	
			96	0.291	
			97	0.251	
			95/1	0.307	
			95/2	0.407	
			95/4	0.307	
			98	0.821	
			99	0.121	
			49	0.700	
			100/2	0.200	
			100/1	0.201	
			45	0.117	
			43	1.683	
			50	0.356	
			42	0.611	
			51	0.206	
			34	0.462	
			35	1.027	
			32	0.304	
			33/2	0.299	
			33/1	0.300	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			36	0.785	
			40	0.615	
			29	0.688	
			28	2.025	
			38	0.299	
			26	0.356	
			23	0.194	
		Total	**43**	**27.153**	
2.	Kharakona (B)	10/Jaljali	144/4	0.469	**North :** Pillar No. 96 besides southern boundary of Khasra No. 62 to pillar No. 93, Pillar No. 93 to 90, the western boundary of Khasra No. 59 Pillar No. 90 to 83, the western and southern boundary of Khasra No. 76, Pillar No. 83 to 79 upto eastern, western and southern boundary of Khasra No. 73/2, 74/2, Pillar No. 79 to 77 upto southern boundary of Khasra No. 76.
			144/3	0.457	
			144/2	0.467	
			144/1	0.467	
			143/4	0.211	
			143/3	0.210	
			143/2	0.210	
			143/1	0.210	
			142/2	0.623	
			142/1	0.523	
			64/2	0.506	
			64/1	0.505	**East :** Pillar No. 77 to 71, western boundary of Khasra No. 113, Pillar No. 71 to 63 upto the western and southern boundary Khasra No. 122, Pillar 63 to 61, the western and southern boundary of Khasra No. 125/2, Pillar No. 61 to 60, the western boundary of Khasra No. 122, Pillar No. 60 to 58, the western and southern boundary of Khasara No. 214/2.
			65	1.327	
			66	0.874	
			67	1.753	
			68	0.660	
			69	1.497	
			75	0.125	
			73/1	0.480	
			72	0.575	
			138/1	0.905	
			138/2	0.904	
			133	0.918	**South :** Pillar No. 58 to 53, the western and north boundary of Khasra No. 213. Pillar No. 53 to 46, the western and north boundary of Khasra No. 211, Pillar No. 46 to 43, the north boundary of Khasra No. 210.
			132	1.015	
			131	1.133	
			135/1	0.516	
			135/2	0.516	
			214/1	0.139	
			136	1.987	**West :** Pillar No. 43 to 41, Samri to Sabag Road. Pillar No. 41 to 25, the outer boundary of Khasra No. 838 and 130. Pillar No. 25 to 21, the Eastern and north boundary of Khasra No. 134. Pillar No. 21 to 19 and Samri to Sabag Road. Pillar No. 19 to 17 the Eastern boundary of Khasra No. 60, Samri to Sabag Road, form Pillar No. 17, Through Sabeg Road till Pillar No. 16 to 01, form Samri to Sabag Road, Pillar No. 01 to 96, Eastern boundary of Khasra No. 63.
			128	1.133	
			125/1	0.225	
			126/1	0.895	
			126/2	0.894	
			129	1.538	
			209	0.821	
		Total	**35**	**25.788**	

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ATUL KUMAR SHUKLA, Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 15 जून 2017

क्रमांक एफ 7-10/2013/10-2 (पार्ट).—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह घोषित करती है कि नीचे उल्लिखित अनुसूची के कॉलम (4) एवं (5) में क्रमशः यथा दर्शित निम्नलिखित खसरा नम्बर एवं क्षेत्र की भूमि को, उक्त अनुसूची के कॉलम (6) में यथा विनिर्दिष्ट अवस्थिति एवं सीमाओं के भीतर आरक्षित वन के रूप में गठित करने का विनिश्चय किया गया है और उक्त अनुसूची में समाविष्ट किसी भूमि में या उस पर अथवा किसी वनोपज में या उस पर किसी व्यक्ति के पक्ष में कथित रूप से विद्यमान किसी अधिकार की विद्यमानता, प्रकृति एवं सीमा की जांच और निर्धारण के लिये तथा उक्त अधिनियम के अध्याय-दो के उपबंधों के अनुसार उसका निराकरण करने के लिये अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सारंगढ़ उप-खण्ड को वन व्यवस्थापन अधिकारी के रूप में कार्य करने हेतु नियुक्त करती है, अर्थात् :—

अनुसूची

जिला-रायगढ़, वन मण्डल-रायगढ़, तहसील-बरमकेला, वन परिक्षेत्र-सारंगढ़

स. क्र.	वन खण्ड का नाम	पटवारी हल्का नंबर एवं राजस्व ग्राम का नाम, जहां वन खण्ड अवस्थित है	खसरा नंबर	क्षेत्रफल हेक्टेयर में	अवस्थिति/सीमाएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	बेहराबहाल	40 बेहराबहाल "अ"	13/3 13/2	1.619 1.214	**उत्तर** : कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 01 से 02. **पूर्व** : कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 02 से 03. **दक्षिण** : कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 03 से 04. **पश्चिम** : कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 04 से 01.
		योग	**2**	**2.833**	

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अतुल कुमार शुक्ल, सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 15 जून 2017

क्रमांक एफ 7-10/2013/10-2 (पार्ट).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 7-10/2013/10-2 (पार्ट), दिनांक 15-06-2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अतुल कुमार शुक्ल, सचिव.

Naya Raipur the 15th June 2017

No. F 7-10/2013/10-2 (part).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Indian Forest Act, 1927 (No. 16 of 1927), the State Government, hereby, declares that it has been decided to constitute the following land with Khasra Number and area as shown in columns (4) and (5) respectively of the Schedule mentioned below and within such situation and limits as specified in column (6) of the said Schedule as Reserved Forest and, appoints the Sub-Divisional Officer (Revenue), Sarangarh Sub-Division to act as the Forest Settlement-

Officer to inquire into and determine the existence, nature and extent of any rights alleged to exist in favour of any person in or over any land comprised in the said Schedule or in or over any forest-produce and to deal with the same in accordance with the provisions of Chapter-II of the said Act namely :—

SCHEDULE

District- Raigarh, Forest Division-Raigarh, Tahsil-Baramkela, Forest Range-Sarangarh

S. No.	Name of Forest Block	Patwari Halka Number and Revenue Village where Block Situated	Khasra Number	Area in Hectare	Location/Boundaries
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Behrabahal	40 Behrabahal "A"	13/3 13/2	1.619 1.214	**North :** Artificial Boundary line survey Pillar No. 01 to 02. **East :** Artificial Boundary line survey Pillar No. 02 to 03. **South :** Artificial Boundary line survey Pillar No. 03 to 04. **West :** Artificial Boundary line survey Pillar No. 04 to 01.
		Total	**2**	**2.833**	

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ATUL KUMAR SHUKLA, Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 15 जून 2017

क्रमांक एफ 7-10/2013/10-2 (पार्ट).—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह घोषित करती है कि नीचे उल्लिखित अनुसूची के कॉलम (4) एवं (5) में क्रमश: यथा दर्शित निम्नलिखित खसरा नम्बर एवं क्षेत्र की भूमि को, उक्त अनुसूची के कॉलम (6) में यथा विनिर्दिष्ट अवस्थिति एवं सीमाओं के भीतर आरक्षित वन के रूप में गठित करने का विनिश्चय किया गया है और उक्त अनुसूची में समाविष्ट किसी भूमि में या उस पर अथवा किसी वनोपज में या उस पर किसी व्यक्ति के पक्ष में कथित रूप से विद्यमान किसी अधिकार की विद्यमानता, प्रकृति एवं सीमा की जांच और निर्धारण के लिये तथा उक्त अधिनियम के अध्याय-दो के उपबंधों के अनुसार उसका निराकरण करने के लिये अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सारंगढ़ उप-खण्ड को वन व्यवस्थापन अधिकारी के रूप में कार्य करने हेतु नियुक्त करती है, अर्थात् :—

अनुसूची

जिला-रायगढ़, वन मण्डल-रायगढ़, तहसील-बरमकेला, वन परिक्षेत्र-सारंगढ़

स. क्र.	वन खण्ड का नाम	पटवारी हल्का नंबर एवं राजस्व ग्राम का नाम, जहां वन खण्ड अवस्थित है	खसरा नंबर	क्षेत्रफल हेक्टेयर में	अवस्थिति/सीमाएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	बेहराबहाल	40 बेहराबहाल "ब"	157/1/ख 157/1/च	1.214 1.214	**उत्तर** : कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 01 से 02. **पूर्व** : कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 02 से 03.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					दक्षिण : कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 03 से 06. **पश्चिम** : कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 06 से 01.
		योग	**2**	**2.428**	

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अतुल कुमार शुक्ल, सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 15 जून 2017

क्रमांक एफ 7-10/2013/10-2 (पार्ट).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 7-10/2013/10-2 (पार्ट), दिनांक 15-06-2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अतुल कुमार शुक्ल, सचिव.

Naya Raipur the 15th June 2017

No. F 7-10/2013/10-2 (part).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Indian Forest Act, 1927 (No. 16 of 1927), the State Government, hereby, declares that it has been decided to constitute the following land with Khasra Number and area as shown in columns (4) and (5) respectively of the Schedule mentioned below and within such situation and limits as specified in column (6) of the said Schedule as Reserved Forest and, appoints the Sub-Divisional Officer (Revenue), Sarangarh Sub-Division to act as the Forest Settlement-Officer to inquire into and determine the existence, nature and extent of any rights alleged to exist in favour of any person in or over any land comprised in the said Schedule or in or over any forest-produce and to deal with the same in accordance with the provisions of Chapter II of the said Act namely :—

SCHEDULE

District- Raigarh, Forest Division-Raigarh, Tahsil-Baramkela, Forest Range-Sarangarh

S. No.	Name of Forest Block	Patwari Halka Number and Revenue Village where Block Situated	Khasra Number	Area in Hectare	Location/Boundaries
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Behrabahal	40 Behrabahal "B"	157/1/Kh 157/1/Ch	1.214 1.214	**North :** Artificial Boundary line survey Pillar No. 01 to 02. **East :** Artificial Boundary line survey Pillar No. 02 to 03. **South :** Artificial Boundary line survey Pillar No. 03 to 06. **West :** Artificial Boundary line survey Pillar No. 06 to 01.
		Total	**2**	**2.428**	

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ATUL KUMAR SHUKLA, Secretary.

महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 25 अक्टूबर 2017

क्रमांक एफ 1-30/2012/मबावि/50.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़, महिला एवं बाल विकास विभाग कार्यपालिक तृतीय श्रेणी (अराजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2008 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम 12 में, शब्द एवं अंक "अपेक्षित योग्यताधारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पर्यवेक्षक के पद पर चयन के अवसर प्रदान करने हेतु परिसीमित सीधी भर्ती हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जायेगी किन्तु कुल पद का प्रतिशत 25 से अधिक नहीं होगी." के स्थान पर 0 शब्द, अंक एवं चिन्ह "पात्र आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पर्यवेक्षक के पद में अवसर प्रदान करने के प्रयोजन के लिये, पर्यवेक्षकों की 50 प्रतिशत रिक्तियां इसके नीचे उल्लिखित निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करते हुए परिसीमित सीधी भर्ती द्वारा भरे जायेंगे :—" प्रतिस्थापित किया जाये.

2. अनुसूची-दो के सरल क्रमांक 6 में,—
   (एक) कॉलम (5) में, शब्द, अंक तथा चिन्ह "75% सीधी भर्ती 25% परिसीमित सीधी भर्ती" के स्थान पर शब्द, अंक तथा चिन्ह "कुल रिक्तियों में से 50% पद सीधी भर्ती द्वारा तथा 50% आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से परिसीमित सीधी भर्ती द्वारा भरे जायेंगे" प्रतिस्थापित किया जाये.

   (दो) कॉलम (8) में, शब्द, अंक तथा चिन्ह "आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से परिसीमित सीधी भर्ती से 25% पदों की पूर्ति की जायेगी" के स्थान पर शब्द, अंक तथा चिन्ह "भविष्य में पर्यवेक्षकों की समस्त विद्यमान रिक्तियों तथा उद्भूत नई रिक्तियों के 50% आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से परिसीमित सीधी भर्ती द्वारा भरे जायेंगे" प्रतिस्थापित किया जाये.

No. F 1-30/2012/WCD/50.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Women and Child Development Department Executive Class-III (Non-Gazetted) service recruitment Rules, 2008, namely :—

AMENDMENT

In the said rules,—

1. In rule 12 for the words and figure "Following procedure shall be adopted for providing opportunity to Anganwadi workers having required qualification for limited direct Recruitment as supervisor But not exceed 25 percent worker", the words, figure and symbols "For the purpose of providing opportunities in the eligible Anganwadi Workers in the post of supervisor 50 percent vacancies of the supervisors shall be filled up by limited direct recruitment, following the process mentioned hereunder :—" shall be substituted.

2. In serial number 6 of Schedule-II,—
   (i) in column (5), for the words, figure and symbols "75% direct recruitment and 25% limited direct recruitment" the words, figures and symbols "outof the total vacancies 50% posts shall be filled by direct recruitment and 50% by limited direct recruitment from Anganwadi workers" shall be substituted.

   (ii) In column (8), for the words figures and symbol "25% of the posts shall be fulfilled by limited direct recruitment of Anganwadi workers" the words figure and symbol "All existing vacancies of supervisiors and new vacancies arising in future, 50% shall be filles up by limited direct recruitment from Anganwari workers" shall be substituted.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल चौधरी, संयुक्त सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

दन्तेवाड़ा, दिनांक 24 अगस्त 2017

क्रमांक/4546/01/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा	कुआकोण्डा	फुलपाड़ प.ह.नं. 06	7.550	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग दक्षिण बस्तर, दंतेवाड़ा.	फुलपाड़ जलाशय एवं नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, दंतेवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सौरभ कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बिलासपुर, दिनांक 17 अक्टूबर 2017

क्रमांक 1/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (संख्या 30 सन् 2013) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	तखतपुर	विचारपुर प.ह.नं. 17	2.25	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग कोटा, जिला-बिलासपुर (छ.ग.).	अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना माइनर नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 17 अक्टूबर 2017

क्रमांक 2/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (संख्या 30 सन् 2013) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	तखतपुर	राजपुर प.ह.नं. 10	18.40	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग कोटा, जिला-बिलासपुर (छ.ग.).	अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना माइनर नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 17 अक्टूबर 2017

क्रमांक 3/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (संख्या 30 सन् 2013) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	तखतपुर	पोड़ी प.ह.नं. 51	5.74	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग कोटा, जिला-बिलासपुर (छ.ग.).	अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना माइनर नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 17 अक्टूबर 2017

क्रमांक 4/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (संख्या 30 सन् 2013) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	तखतपुर	केकती प.ह.नं. 17	12.66	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग कोटा.	अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना अन्तर्गत माईनर नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 17 अक्टूबर 2017

क्रमांक 5/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (संख्या 30 सन् 2013) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	तखतपुर	लोखण्डी प.ह.नं. 54	2.44	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोटा.	अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना अन्तर्गत माईनर नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 17 अक्टूबर 2017

क्रमांक 6/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (संख्या 30 सन् 2013) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	तखतपुर	भुण्डा प.ह.नं. 21	3.55	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोटा.	अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना अन्तर्गत माईनर नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. दयानंद, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

कबीरधाम, दिनांक 18 अगस्त 2017

रा.प्र.क्र. 16 अ 82 वर्ष 2105-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम
- (ख) तहसील-पंडरिया
- (ग) नगर/ग्राम-प्राणकापा, प.ह.नं. 39
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.436 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
35	0.101
38	0.142
36/1	0.020
37	0.218
40/2	0.008
20/2, 21	0.178
20/1	0.057
22/1, 22/2	0.134
22/3, 22/4	0.004
20/3	0.162
20/4	0.101
18/1	0.024
18/2	0.206

	(1)	(2)
	19	0.081
योग	14	1.436

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सहसपुर व्यपवर्तन योजना के अन्तर्गत शाखा नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पंडरिया के कार्यालय में किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 18 अगस्त 2017

रा.प्र.क्र. 17 अ 82 वर्ष 2105-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम
- (ख) तहसील-पंडरिया
- (ग) नगर/ग्राम-खैरझिटी नया, प.ह.नं. 39
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.071 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
167/1	0.049
167/2	0.105
168/2	0.089
17/2 ग	0.142
17/2 ब	0.121
16/3	0.218
17/12	0.218
17/2	0.020
17/11	0.016
17/4	0.081
51	0.012
योग 11	1.071

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सहसपुर व्यपवर्तन योजना के अन्तर्गत शाखा नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पंडरिया के कार्यालय में किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 18 अगस्त 2017

रा.प्र.क्र. 18 अ 82 वर्ष 2105-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम
- (ख) तहसील-पंडरिया
- (ग) नगर/ग्राम-खैरझिटी नया, प.ह.नं. 39
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.973 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
369/4	0.101
369/5	0.170
370/2	0.146
370/4	0.016
370/5	0.049
370/6	0.089
383/1 ख	0.097
433/4	0.202
446/2	0.024
461	0.020
383/3	0.008
383/1 ग	0.081
383/2	0.008

	(1)	(2)
	383/1 क	0.004
	433/1	0.129
	433/9	0.024
	433/6	0.073
	433/7	0.101
	434	0.121
	437/1	0.032
	441/1 क	0.008
	441/2	0.081
	446/1	0.097
	439	0.194
	444	0.004
	445	0.134
	446/3	0.041
	469/5	0.004
	458/1	0.077
	458/2	0.012
	459	0.041
	469/1	0.304
	469/2	0.263
	469/4 क	0.113
	466/3	0.105
योग	35	2.973

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सहसपुर व्यपवर्तन योजना के अन्तर्गत मुख्य नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पंडरिया के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नीरज कुमार बंसोड़, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

रायगढ़, दिनांक 16 अगस्त 2017

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 12/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-सारंगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-टिमरलगा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.773 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1794/1	0.093
1928	0.277
1933	0.055
1970	0.032
1957	0.016
1954/3 क	0.010
1730/4 क	0.016
1953/2	0.010
1959/2	0.012
1957/2	0.048
1954/1	0.020
1721/2	0.069
1962, 1963/3	0.014
1793/2	0.121
1951/1	0.015
1965	0.057
1739/2 क/1	0.020
1794/2	0.089
1932	0.255
1935	0.071
1949/2	0.015
1951/4	0.020
1730/1	0.055
1954/5	0.010
1956/2	0.020
1960/1	0.020
1961/2	0.012
1730/2 ग	0.016
1962, 1963/2	0.014
1770/2 ख	0.101
1772/1	0.202
1956/1	0.020
1969	0.024
1770/2 क	0.101
1794/3	0.020
1926	0.033
1934/1	0.045

(1)	(2)
1731/1 ख	0.049
1952/2	0.014
1954/3 ख	0.004
1730/5	0.020
1730/2 ङ	0.016
1727/1	0.048
1730/2 क	0.024
1724	0.186
1721/3	0.134
1771/1	0.101
1772/2	0.101
1959/3	0.012
983	0.089
1731/1 क/1	0.049
1794/4	0.020
1964	0.101
1949/1	0.015
1951/2	0.020
1954/2 क	0.004
1730/4 ख	0.016
1955	0.020
1958	0.016
1961/1	0.012
1730/2 ख	0.024
1721/1	0.134
1962, 1963/4	0.028
1771/2	0.101
1773/3	0.101
1752	0.277
1771/5	0.055
1949/3	0.015
1923	0.097
1968	0.045
1950	0.020
1953/1	0.010
1954/2 ख	0.004
1954/4	0.004
1951/3	0.020
1959/1	0.016
1960/2	0.020
1771/4	0.050
162, 1963/1	0.029
1721/4	0.068
1771/3	0.101
1951/1	0.020
1930	0.232
1739/1 क	0.016
1770	0.187
योग 85	4.773

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कलमा बैराज निर्माण योजना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सारंगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 16 अगस्त 2017

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 13/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-सारंगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-सोनाडूला
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.415 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
5	0.060
252/1 क	0.006
249/2 ख	0.008
254/1	0.008
9/1	0.014
252/1 ख	0.006
247	0.028
9/2	0.016
252/2	0.004
262/1	0.005
246/2 क	0.114
251/2	0.004

	(1)	(2)
	262/2	0.005
	246/2 ख	0.113
	250/1	0.004
	256	0.020
योग	16	0.415

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कलमा बैराज निर्माण योजना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सारंगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शम्मी आबिदी , कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्र. 01
छ.ग. ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण कवर्धा, जिला कबीरधाम (छ.ग.)

क्रमांक 2109/तक/प्रमंग्रासयो/2017 कवर्धा, दिनांक 20 सितम्बर 2017

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पंडरिया, जिला-कबीरधाम (छ.ग.)
(प्रारूप-क)

राज्य शासन के विभाग/उपक्रम/संस्था—कार्यपालन अभियंता "छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, परियोजना क्रियान्वयन ईकाई क्र. 01" जिला कबीरधाम (छ.ग.) विभाग के अंतर्गत ग्राम बहबलिया से बम्हईपुर तक "पहुंच मार्ग" योजना हेतु ग्राम बहबलिया प.ह.नं. 59 रा.नि.मं. कुण्डा तहसील पंडरिया जिला कबीरधाम छ.ग. के प्रभावित किसानों की निजी भूमि को "सार्वजनिक प्रयोजन" के लिए आवश्यकता होने से राज्य शासन, उपक्रम/संस्था निम्नांकित कृषक की निजी भूमि आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति 2016 के तहत् करना चाहता है :—

(क्रय की जाने वाली भूमि व कृषकों का विवरण)

क्र.	तहसील	नगर/ग्राम	सरल क्र.	भूमि स्वामी का नाम व पिता का नाम या पति का नाम	क्रय की जाने वाली भूमि हेक्टेयर में		स्थावर परिसम्पत्तियों का विवरण	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	पंडरिया	बहबलिया	260	श्री रामसागर/घनश्याम/श्यामसुंदर/ चैनूराम/ दिनेश आ. अंजोरा/रेवती पुत्री अंजोरा, रामकुमारी पति मंजरू/ कुमारीबाई पति संतराम सभी जाति तेली सा. बहबलिया	0.12 ए.	0.049 हे.	—	पहुंच मार्ग
2.	पंडरिया	बहबलिया	264	श्रीमती पिंगलाबाई पति नाजर/ बिमला पति पंचराम दोनों जाति तेली सा. बहबलिया	0.06 ए.	0.024 हे.	—	पहुंच मार्ग
		योग	**02**	**—**	**0.18 ए.**	**0.073 हे.**	**—**	**—**

यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के संबंध में कोई आपत्ति हो तो वह प्रकाशन तिथि से 15 दिवस के भीतर में आपत्ति के आधार सहित दावा-आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि के बाद प्रस्तुत दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

हस्ता./-
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
एवं भू-अर्जन अधिकारी.

न्यायालय कलेक्टर जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

जांजगीर-चांपा, दिनांक 28 अगस्त 2017

क्रमांक/13707/रीडर/2017.—श्री दुर्गा रजक पिता संतराम रजक पार्षद वार्ड क्र. 11 नगर पंचायत बलौदा जिला जांजगीर-चांपा छ.ग. के द्वारा दिनांक 23-08-2017 को नगर पंचायत बलौदा जिला जांजगीर-चांपा छ.ग. के उपाध्यक्ष पद से त्याग पत्र प्रस्तुत किया गया.

छ.ग. नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 40 (1) के तहत् श्री दुर्गा रजक पिता संतराम रजक पार्षद वार्ड क्र. 11 नगर पंचायत बलौदा जिला जांजगीर-चांपा छ.ग. का उपाध्यक्ष पद से प्रस्तुत किया गया त्याग पत्र स्वीकृत किया जाता है.

एस. भारतीदासन,
कलेक्टर.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 11th October 2017

No. 1114/Confdl./2017/II-3-14/2000 (Pt.-II).— In Registry Order No. 800/Confdl./2017/II-3-14/2000 (Pt.-II) dated 28-04-2017, the name of husband of Smt. Shanti Prabhu Jain, Additional Judge to the Court of I Civil Judge Class-II, Rajnandgaon be read as “Shri Lalit Kishor Jain” in place of “Shri Lalit Kishore Jain”.

By order of the High Court,
RAJANI DUBEY, I/C Registrar General.